उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या-41/2026/998/78-1-2026-78-01099/10/2026
लखनऊः दिनांकः 31 अगस्त, 2026

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1829/78-1-2022-05आई0टी0/2022, दिनांक 18 नवम्बर, 2022 द्वारा प्रख्यापित ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022'', को विस्तारित एवं **अनुलग्नक "क"** के अनुसार उसके अंग्रेजी सस्करण तथा **अनुलग्नक "ख"** के अनुसार हिन्दी संस्करण को पुनः संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- यह नीति प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022'' (प्रथम संशोधन)'' के नाम से जानी जायेगी।

3- प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 (प्रथम संशोधन), अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्षों अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई नई नीति/संशोधन किये जाने तक, जो भी पहले हो, वैध होगी।

संलग्नक:-

(1) अनुलग्नक "क" (संशोधित नीति का अंग्रेजी सस्करण)।

(2) अनुलग्नक "ख" (संशोधित नीति का हिन्दी संस्करण)।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
6- निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी, उ0प्र0
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक "क"

IT and ITeS Policy of Uttar Pradesh 2022
(First Amendment)

Table of Contents

1. Preamble .....
2. Policy Framework .....
   2.1. Vision .....
   2.2. Strategic Objectives .....
3. Infrastructure Augmentation .....
   3.1 IT Park .....
   3.2 IT City .....
   3.3 Co-working Space Developers .....
4. Encourage Innovation Ecosystem .....
   4.1 Centers of Excellence .....
   4.2 R&D Support .....
5. Skill Development .....
6. Incentives for IT/ ITeS Units .....
   6.1 Fiscal Incentives for New Units .....
      6.1.1 Capital Subsidy .....
      6.1.2 Operating Expense Subsidy .....
      6.1.3 Rebate on Land .....
      6.1.4 Interest Subsidy .....
      6.1.5 Stamp Duty .....
      6.1.6 Grant on EPF for Employment Generation .....
      6.1.7 Recruitment Assistance .....
      6.1.8 Incentives for Certifications .....
      6.1.9 Patent Filing Cost .....
      6.1.10 Work From Home (WFH) .....
      6.1.11 Payroll Subsidy .....
      6.1.12 Export Linked Incentive .....
      6.1.13 Skill Development Incentives .....
      6.1.14 Relocation Subsidy .....
      6.1.15 Internship Assistances .....

6.2 Benefits for Expansion Units .....
6.3 Benefits for Units with investment exceeding INR 500 Cr.....
6.4 Non-Fiscal Incentives .....
7. Implementation Framework .....
8. Policy Period and Applicability 17
Definitions .....
Annexure 1: Classification of Districts
Annexure 2: Constitution of Empowered Committee
Annexure 3: Constitution of Policy Implementation Unit

1. Preamble

Globally, the IT and ITeS market is expected to grow at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 9% per annum and reach $11.86 trillion in Financial Year 2025-26. The IT and ITeS sector has emerged as a massive growth driver with enormous potential particularly in developing countries. In India, the sector has become the most significant growth catalyst for the economy contributing to around 8% of India's GDP in 2020 and the largest contributor to total exports. India's IT industry's revenue rose up to $227 billion in Financial Year 2022-23, showcasing a 15.5% year-on-year growth. Based on the current trends and onset of new technologies, the industry is predicted to touch the $350 billion revenue mark by Financial Year 2026-27. As a global hub for digital talent, India's IT sector employs an estimated 5 million people and is also the largest private sector employer of women. Uttar Pradesh (UP), the most populous state and second largest economy in the country, is known as the IT Hub of North India, holding sixth position in software exports in the country. The IT and ITeS sector in the state of UP provides direct employment to more than 0.12 million people. Under the UP IT/ ITeS Policy 2017-22, the state received investment proposals of around Rs 6,300 crores with employment of ~53,000 people.

The IT and ITeS sector has thrived as an emerging field over the past many years in the state of UP and has now become a necessity to survive the dynamic business environment. The government of Uttar Pradesh recognizes this dominance of the IT and ITeS sector and focuses on developing infrastructure and human capital through effective policy implementation to create a conducive ambience for the IT and ITeS industry. In this context, the state houses large number of universities, technical colleges and ITIs, thus making available high-quality manpower. Some of the country's apex institutes are situated in Uttar Pradesh that provide best-in-class infrastructure and education opportunities, including IIT Kanpur, IIT(BHU) Varanasi, MNNIT Prayagraj and IIIT Prayagraj.

The policy aims to build a robust ecosystem for the sector by enabling a sound business environment and by encouraging collaboration and consolidation towards creating a technological shift in the state through establishment of IT Cities, IT Parks and Centers of Excellence in emerging technologies such as AI, Blockchain, Big data, Cloud computing and IoT. It proposes to enable a conducive regulatory landscape to accelerate innovation and drive innovation specific funding, build strong industry-academia collaboration in line with global best practices and dedicated innovation hubs with best-in-class infrastructure. In congruence with the Hon'ble Prime Minister's vision of 'Digital India' and 'Reform, Perform and Transform', the Uttar Pradesh government is transforming itself into a digitally empowered society and knowledge economy, thereby paving its way to become a dream destination for investments in line with its goal to become a $1 trillion economy by 2030.

Uttar Pradesh is categorized as an achiever state in the recent 'ease of doing business' rankings, has made big strides through implementation of several reforms spanning across labor regulation, land administration, access to information and transparency, online single window and construction permits. Udyog Bandhu a dedicated state government body, provides necessary assistance for investors planning to establish their business in the state. Also, Nivesh Mitra - a dedicated single window clearance portal offering 353 services from 29 departments, has been instituted to facilitate faster and time bound issuance of various approvals.

2. Policy Framework

2.1. Vision

Transform the IT landscape of Uttar Pradesh to establish it as a trusted and leading global hub for information technology, comprising world-class IT infrastructure infused with high caliber talent, driving innovation and leading to a sustainable economic development across the state.

Ensure an equitable and broad-based growth of the IT ecosystem by being inclusive of enterprises of all sizes. The policy aims to actively support and incentivize small, medium, and large IT/ITeS companies alike, with a focused emphasis on enabling the growth and participation of smaller and emerging firms. By creating a conducive and enabling policy environment, the State endeavors to

promote balanced sectoral growth, encourage entrepreneurship, and facilitate the scaling of enterprises across the value chain.

2.2. Strategic Objectives

The State of Uttar Pradesh through this IT and ITeS policy aims to achieve the following objectives:

2.2.1 **Infrastructure**: Facilitate development of best-in-class infrastructure for IT/ITeS sector to meet the growing demand for innovative and advanced technologies by developing IT Parks, IT Cities in the state

2.2.2 **Innovation**: Encourage innovation ecosystem by providing an enabling mechanism in the form of access to mentors, establishing CoEs and promoting R&D with a focus on emerging technologies

2.2.3 **Capacity Building**: Enhance the skill levels of existing and young workforce on next generation technologies (such as Data Analytics, Internet of Things, Virtual Reality, Artificial Intelligence, Machine Learning etc.) and develop an industry-ready talent pool

2.2.4 **Investments**: Promote investor facilitation and make UP a preferred investment destination for technology companies and attract domestic as well as foreign investments during the policy period

2.2.5 **Exports**: Boost export potential of the state's IT/ITeS sector to contribute substantially more to India's exports in this sector including providing single window clearance for the units setting up in STPIs within Uttar Pradesh

2.2.6 **Employment**: Generate state-wide direct and indirect employment opportunities by offering special incentives to boost local employment

2.2.7 **Regional Development**: Drive IT penetration and balanced regional development through additional incentives for setting up IT/ITeS units across the state

3. Infrastructure Augmentation

Uttar Pradesh already hosts a good number of IT/ITeS companies who have established their operations in the state. HCL in collaboration with State Government of Uttar Pradesh has developed a dedicated IT city in 100 acres for operations and skill development activities. The state currently has operational STPI parks developed in collaboration with UP Government in Noida, Meerut, Lucknow, Kanpur, Gorakhpur and Prayagraj. Another IT Park in Agra will shortly become operational. Other STPI parks are being developed in Varanasi and Bareilly cities. The State Government shall provide impetus to the IT ecosystem by supporting the development of ready to occupy workspaces at an easy-to-commute location, that will allow IT/ITeS units to immediately commence their operations within the state. This policy proposes to undertake the following initiatives to develop infrastructure in the IT sector:

3.1 IT Park

3.1.1 The State Government will extend financial assistance towards development of greenfield IT Parks in every district of the state, except in districts of Gautam Buddha Nagar and Ghaziabad.

3.1.2 A support of 25% of the eligible capital expenditure incurred for development of IT Park shall be provided subject to a maximum support of Rs 20 Crores.

3.1.3 Capital expenditure shall comprise of expenditure incurred on building construction and infrastructural facilities, excluding the cost of land.

3.1.4 80% of the incentives on eligible capital expenditure will be provided in four instalments based on expenditure incurred at 25%, 50%, 75% and 100% of total project cost. The

final 20% will be released after 50% of built-up floor area has been allotted/leased out to the units for their commercial operations.

3.1.5 100% exemption on stamp duty will be granted on the purchase/lease of land by the developer.

3.1.6 The Government will provide support for development of external infrastructure facility i.e. Roads (by Public Works Department), Electrical Infrastructure (Energy Department). Support shall also be extended in obtaining building clearances.

3.1.7 Floor Area Ratio (FAR): FAR 3 and 1 (Purchasable, as per building by-laws prevalent at that time) applicable to IT parks.

3.1.8 Consortiums of developers will also be allowed.

3.1.9 Preferential land allotment on a fast-track basis will be done as per the policy provisions, terms & conditions of UP Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2022.

3.1.10 IT Parks which host co-working spaces will also be eligible for the above incentives.

3.1.11 75% land rebate and 40% capital subsidy (maximum capital subsidy upto Rs 400 Crores), to be provided to IT/ITeS Parks with investments exceeding INR 500 Cr (except in districts of Gautam Buddha Nagar and Ghaziabad), subject to the approval of the State Cabinet on the recommendations of the Empowered Committee.

3.2 IT City

3.2.1 IT city refers to an area where state-of-the art infrastructure exists to support IT/ITeS activities and promote the 'walk to work culture'. It consists of IT/ITeS office spaces/ IT park/ co-working spaces etc. with residential and commercial complexes that may include auditorium, food courts, gymnasium, conference halls etc.

3.2.2 The State Government endeavors to develop one IT city in each of the regions - Paschimanchal (except in districts of Gautam Buddha Nagar and Ghaziabad), Madhyanchal, Poorvanchal and Bundelkhand, and thus pave the way for furthering establishment of IT units across the state.

3.2.3 The Government encourages developers/consortium of developers for the development of a dedicated state-of-the-art IT city with modern amenities on par with global standards. Support shall be extended by means of following incentives:

- Relaxation of zoning/ land use laws
- Flexible Floor Space Index (FSI) norms applicability
- Extend utilities doorstep support
- Assistance in obtaining necessary statutory clearances
- 100% exemption on stamp duty will be granted on the purchase/lease of land by the developer
- CAPEX Support – One time support of 25% of the eligible capital expenditure shall be provided subject to a maximum support of Rs 100 Crores incurred for developing the IT city. Eligible capital expenditure shall comprise of building construction and infrastructural facilities, excluding the cost of land. Further, the capital expenditure incurred only in the processing area shall be considered eligible. Developer will get 80% of their eligible capital subsidy in four instalments in respect to the various stages of completion of the project from 25%, 50%, 75% and 100%. Last instalment of remaining capital subsidy of 20% will be disbursed only once the 50% of the built-up area is allotment/ leased to the units.

- 75% land rebate and 40% capital subsidy (maximum capital subsidy upto Rs 400 Crores), to be provided to IT/ITeS City with investments exceeding INR 500 Cr (except in districts of Gautam Buddha Nagar and Ghaziabad), subject to the approval of the State Cabinet on the recommendations of the Empowered Committee.

3.3 Co-Working Space Developers

3.3.1 The State Government will extend financial assistance towards development of co-working spaces in all districts of Uttar Pradesh.

3.3.2 A support of 25% of the eligible capital expenditure incurred for creation of co-working space shall be provided subject to a maximum support of Rs 20 Crores.

3.3.3 Subsidy shall be disbursed in equal annual installments over three years only once the **50%** of the seats is allotted/leased to IT/ITeS units.

3.3.4 Capital expenditure shall comprise of expenditure incurred on building construction/improvements/renovation and infrastructural facilities, excluding the cost of land.

3.3.5 For the establishment of co-working spaces on leased or rented premises, the minimum registered lease deed tenure shall be five (5) years.

4. Encourage Innovation Ecosystem

The policy proposes to build an ecosystem encouraging innovation through the following initiatives:

4.1 Centers of Excellence

4.1.1 Policy envisages to create world class infrastructure in the form of Centers of Excellence (CoE) to promote research, innovation and entrepreneurship in the IT/ITeS sector.

4.1.2 Policy aims to establish three Centers of Excellence in collaboration with reputed academic institutions and/or industry associations/industry or any other Govt./ Private entity up to 50% of the total CoE project cost (subject to a maximum of Rs 10 Crores.) will be borne by Government of UP.

4.1.3 The Empowered Committee shall be competent to grant sanction for setting up of the CoE.

4.2 R&D Support

The Government will support standalone / in-house R&D Centers and Design Centers recognized by Council of Scientific & Industrial Research (CSIR)/ Department of Scientific and Industrial Research (DSIR) or approved by Expert Committee constituted by the State Government for this purpose

4.2.1 Financial support shall be provided in the form of reimbursement (covering capital and operational expenditure) of 50% of the eligible R&D expenditure maximum up to Rs 5 Crores for one unit in the span of 5 years

4.2.2 50% of the eligible reimbursement amount shall be provided on a half-yearly basis and the remaining 50% of the amount shall be disbursed post successful development of the product/R&D activity.

4.2.3 R&D activities which are to be incentivized through this provision are expected to be engaged in innovative research & development activities in the field of IT/ ITeS sector. Such R&D activities should be related to the line of business of the unit, such as the development of new technologies, design & engineering, product development, development of new methods of analysis & testing, and research for increased efficiency in the use of resources. At the time of application, the R&D unit(s) should have well

defined, time-bound R&D programmes leading to the development of innovative products and/or technology(ies). Units engaged solely in market research, work & methods study, operations & management research, testing & analysis of routine nature for operation, process control, quality control and maintenance of day-to-day production, and maintenance of plant shall not be considered as R&D centers

4.2.4 Existing units set up in UP incurring R&D expenditure for a new R&D activity will be eligible to avail incentives under this policy.

4.2.5 The proposal under this provision shall exclude any capital expenditure related to R&D equipment on which incentive has already been claimed under Section 6.

5. Skill Development

To fulfil the growing need for skilled IT manpower and narrow the existing gap between the demand and supply of skills, there is a compelling need to launch an initiative that will address the challenge of imparting the skills required by a growing economy. The Government through this policy will undertake the following initiatives for upskilling the existing and new workforce:

5.1 Encourage professionals/employees and students to complete certifications in emerging technology courses. The Government shall reimburse 50% of the course fee up to Rs 50,000 per candidate who is of Uttar Pradesh domicile. A standing committee comprising of IT/ITeS companies, industry associations, academic institutions etc. will advise on the list of training providers including their empanelment and determine the eligible courses, which may be revised on a periodic basis as per the industry trends and needs.

5.2 UP Skill Development Mission (SDM) will collaborate with leading industry players and academic institutions to deliver trainings on courses pertaining to IT/ITeS sector.

6. Incentives for IT/ ITeS Units

The State Government will provide multiple incentives for IT/ITeS companies who will set up their operations in Uttar Pradesh. Both new and expansion units across the state of Uttar Pradesh will be eligible to claim incentives under this policy.

6.1 Fiscal Incentives for New Units

New units fulfilling the following conditions shall be eligible for the incentives:

Region	Eligibility Criteria
Gautam Buddha Nagar and Ghaziabad	Minimum Fixed Capital Investment of INR 2 Cr
Rest of Uttar Pradesh	Minimum 15 employees on its payroll for IT and ITeS activities. All IT employees must be provided with a workstation, laptop, or IT device. These IT devices must be fresh investment. OR Minimum annual turnover of INR 5 Crore from IT and ITeS operations/services.

Note: The eligibility is subject to hiring of new employees for a continuous employment of one year

6.1.1 Capital Subsidy

Capital subsidy would be provided at the rate of 25% on Fixed Capital Investment (FCI), subject to a maximum subsidy of Rs 50 Crores to the eligible IT/ITeS units fulfilling the following criteria.

Region	Eligibility Criteria
Gautam Buddha Nagar and Ghaziabad	Minimum Fixed Capital Investment of INR 5 Cr
Rest of Uttar Pradesh	Minimum Fixed Capital Investment of INR 2 Cr

The disbursal shall be done in equal annual installments over five years post commencement of commercial operations, and each annual installment shall not exceed Rs 10 Crores.

6.1.2 Operating Expense Subsidy

The government, through this policy shall provide subsidy towards operating expenses incurred by IT/ITeS units. All eligible units can avail reimbursement on Eligible Operating Expenses.

a. Units operating from owned/rented/plug and play facility, can avail reimbursement at the following rates based on the employee strength of the unit, however, the total monthly incentive that can be claimed on the eligible OPEX shall be maximum upto INR 25/-sq ft.

Region	IT Employee Strength	Subsidy Rate on Eligible Operating Expense
Gautam Buddha Nagar and Ghaziabad	>50	20%
Region	IT Employee Strength	Subsidy Rate on Eligible Operating Expense
Rest of Uttar Pradesh	15-50	40%
	51-100	30%
	>100	25%

Note: Eligibility is subject to hiring new employees for a continuous employment of one year

Units operating from co-working spaces, can avail reimbursement of cost incurred per seat per month at above applicable rates (based on region-wise employment generation) or INR 3,000 per seat per month, whichever is lower. These units will not be eligible for any other head covered under 'Eligible Operational Expenses' and subsidy will be reimbursed on a per-seat cost basis only. This shall be eligible for units who have a registered lease deed for a minimum period of 5 years.

b. Additional Incentive for High-Potential Startups: DPIIT-recognized startups that have secured equity investment from SEBI-registered Venture Capital Funds (VCFs), Alternative

Investment Funds (AIFs), National Quantum Mission or any recognized national/international body or national mission/ government-supported Fund of Funds (FoFs) shall be eligible for an additional **50% enhancement over the applicable Operating Expense (OPEX) Subsidy Rate**, subject to the maximum subsidy ceiling and other conditions prescribed under the Policy. The enhanced subsidy shall be computed as a percentage increase over the applicable subsidy rate. For instance, where the applicable OPEX subsidy rate is 20%, the eligible startup shall receive a subsidy at the rate of 30%.

Region	IT Employee Strength	Subsidy Rate on Eligible OPEX Subsidy	High-Potential Startup OPEX Subsidy
Gautam Buddha Nagar & Ghaziabad	>50	20%	30%
Rest of Uttar Pradesh	15-50	40%	60%
	51-100	30%	45%
	>100	25%	37.5%

The operating expense subsidy shall be provided for a period of 5 years from commencement of commercial operations and overall amount shall remain capped at Rs 40 crores per annum.

Units employing between 15 and 100 employees (for rest of Uttar Pradesh) at the time of application shall be eligible to receive the operating expense subsidy at the applicable rate for an initial period of two years from the date of commencement of commercial operations. Continuation of the subsidy at the applicable rates, beyond the initial period, for the subsequent three years, shall be conditional upon the unit achieving a minimum twofold increase in employee strength or turnover, within the first two years from the date of commencement of commercial operations.

In the event that the unit fails to meet the aforesaid growth criteria within the stipulated timeframe, the operating expense subsidy shall continue at a reduced rate of 25% of eligible operating expenditure (OPEX) for the remaining eligible period.

6.1.3 Rebate on Land

i. The Government will provide rebate on the land purchased in Uttar Pradesh subject to the fulfilment of the criteria mentioned in this policy.

ii. Reimbursement on the cost of land shall be provided subject to a maximum rebate of Rs 50 Crores and meeting the below region-wise minimum employment criteria.

Region	Minimum IT Employment	Land Subsidy
Gautam Buddha Nagar and Ghaziabad	200 IT Employees per acre of Land	30%

Paschimanchal (excluding Gautam Buddha Nagar and Ghaziabad) and Madhyanchal	150 IT Employees per acre of Land	40%
Bundelkhand/Poorvanchal	100 IT Employees per acre of Land	50%
Note: *List of districts falling in the Bundelkhand, Poorvanchal, Madhyanchal & Paschimanchal is provided in Annexure-1.* *The eligibility is subject to hiring new employees for a continuous employment of one year*		

iii. The employment should be for a continuous period of one year.

iv. The reimbursement shall be provided post commencement of commercial operations of the unit.

v. The actual purchase price as per the registered document of the land shall be considered as the cost of land for the project (excluding stamp duty and registration charges). In case, the land is allotted by state agencies, the actual allotment price paid shall be considered as the cost of land (excluding Stamp duty & registration charges). On purchase of private land, the cost of land will be considered as per the prevailing circle rates or actual purchase price, whichever is lower.

6.1.4 Interest Subsidy

Interest subsidy shall be provided at 7% per annum on the term loan or the actual interest paid, whichever is lower on the loans obtained from Scheduled Banks/ Financial Institutions subject to a maximum of Rs 1 crore per annum per unit for a period of 5 years from the commencement of commercial operations.

6.1.5 Stamp Duty

100% exemption/reimbursement of stamp duty on purchase/lease of land/office space/ buildings for IT/ITeS use.

The exemption shall be provided on submission of Bank Guarantee of equivalent amount of exemption availed which shall be refunded to the unit on commencement of commercial operations within the time limits stipulated in Section 8.3 of this policy.

The reimbursement shall be provided to units having legally registered lease agreement of a minimum duration of 5 years. The reimbursement shall be provided post commencement of commercial operations.

In respect of land purchased after the notification of the Uttar Pradesh IT and ITeS Policy, 2022, reimbursement shall be admissible upon issuance of the Letter of Comfort and commencement of commercial operations by the unit.

In case the land has been purchased after notification of the Uttar Pradesh IT and ITeS Policy, 2022 (First Amendment), the eligible unit shall be entitled to exemption from stamp duty, as per the applicable provisions of the Policy.

6.1.6 Grant on EPF for Employment Generation

100 percent reimbursement of the total EPF amount paid for IT/ITeS professionals of Uttar Pradesh domicile with employment for continuous 1 year, after commencement of commercial operations, up to Rs 2000 per employee per month and subject to a maximum of Rs 1 Crore per annum for 5 years for a unit.

6.1.7 Recruitment Assistance

i. Recruitment assistance of INR 20,000 per IT professional in units located in Uttar Pradesh (excluding Gautam Buddha Nagar and Ghaziabad districts) subject to continuous employment of minimum 1 year and an annual recruitment of minimum 10 percent of the employee strength.

ii. This assistance is only applicable for employees recruited for their first job and who have been deployed in UP-located units for at least a period of 1 year. The employee shall be of Uttar Pradesh domicile and from a UP-based college.

iii. This benefit can be availed for a duration of 5 years, maximum upto INR 1 Cr per year, from the commencement of commercial operations.

iv. A mechanism shall be developed in consultation with Technical Education Department, Vocational Education and Skill Development Department for assisting IT/ITeS companies in recruiting candidates from UP-based College and ensuring the delivery of benefits as per this provision.

6.1.8 Incentives for Certifications

Reimbursement of the cost incurred by an IT/ITeS company operating in the state on successfully securing quality & IT related certifications such as Capability Maturity Model (CMM) level 2 upwards, ISO 27001 for security, ISO 20000 for service management terminology, COPC, eSCM certification with maximum reimbursement of 3 certifications with total limit of INR 25 lakhs per unit. Such similar certifications related to this sector shall be included from time to time subject to approval of Empowered Committee.

6.1.9 Patent Filing Cost

To encourage research and development, support will be provided to cover patent filing costs incurred by units located within the state. This would be reimbursement of up to 100% of actual filing costs on awarded patents, subject to a maximum of INR 5,00,000 for domestic patents and INR 10,00,000 for international patents per unit.

The reimbursable 'filing cost' shall include filing fees paid to the patent office, attorney fees, search fees, and maintenance fees and the fees paid to the concerned Intellectual Property Right (IPR) companies and legal charges, if any for drafting/consultation. Only patents that are successfully granted/awarded will be eligible for reimbursement.

6.1.10 Work From Home (WFH)

The units shall be eligible to claim the benefit of EPF reimbursement and other employment linked benefits provided under this policy in respect of Uttar Pradesh based employees working from home/ such other premises located within Uttar Pradesh.

6.1.11 Payroll Subsidy

Eligible units shall receive reimbursement of the cost of salaries and emoluments paid to on-roll UP domiciled employees (including workers engaged in research and development), having continuous employment of at least 1-year.

a. In Gautam Buddha Nagar and Ghaziabad districts:

For employees who are domiciled in Uttar Pradesh the subsidy amount will be admissible to the unit over three years from the commencement of commercial operations, as follows:

Year of Operation	Permissible Payroll Subsidy Percentage	Maximum Limit
First	35%	35% of the salary received by the employee or maximum of INR 05 lakh of total annual salary, whichever is less.
Second	30%	30% of the salary received by the employee or maximum of INR 04 lakh of total annual salary, whichever is less.
Third	25%	25% of the salary received by the employee or maximum of INR 03 lakh of total annual salary, whichever is less.

Payroll subsidy will be maximum INR 10 crore per year for a period of 03 years

For the purpose of this subsidy, the basis of continuous employment maintained by the unit for the personnel during a financial year will be considered. Personnel who have worked for less than 12 months will not be included in receiving reimbursement under this head.

b. For Units established in the rest of Uttar Pradesh

For employees who are domiciled in Uttar Pradesh the subsidy amount will be admissible to the unit over four years from the commencement of commercial operations, as follows:

Year of Operation	Permissible Payroll Subsidy Percentage	Maximum Limit
First	50%	50% of the salary received by the employee or maximum of INR 07 lakh of total annual salary, whichever is less.
Second	40%	40% of the salary received by the employee or maximum of INR 06 lakh of total annual salary, whichever is less.
Third	30%	30% of the salary received by the employee or maximum of INR 05 lakh of total annual salary, whichever is less.
Fourth	25%	25% of the salary received by the employee or maximum of INR 04 lakh of total annual salary, whichever is less.

Payroll subsidy for units, to be established in districts other than Gautam Buddha Nagar and Ghaziabad, will be provided up to a maximum of INR 12 crore per year, for a period of four years.

For the purpose of this subsidy, the basis of continuous employment maintained by the unit for the personnel during a financial year will be considered. Personnel who have worked for less than 12 months will not be included in receiving reimbursement under this head.

Note: For Payroll Subsidy, only those employees employed by the unit who get Gross Salary more than INR 1 lakh per annum will be eligible.

(Gross Salary is the amount transferred by the Company to the employee's accounts as per industry best practice formula of Basic Salary, Dearness Allowance, House Rent Allowance, Conveyance Allowance, Medical Reimbursement, etc.)

6.1.12 Export Linked Incentive

Units shall be eligible for reimbursement of up to 25% of the annual export turnover generated from Uttar Pradesh, subject to a maximum ceiling of INR 20 lakh per annum, whichever is lower.

This incentive shall be applicable only to new units established and operating within the State of Uttar Pradesh.

The reimbursement shall be available for a period of five (5) years from the date of commencement of commercial operations of the eligible unit.

6.1.13 Skill Development Subsidy

Skill development subsidy in form of reimbursement at the rate of 50% of the costs for conducting training programs or Rs 50,000 per employee, whichever is lower, for course fee can be availed by the eligible unit, for maximum 500 employees subject to a ceiling of INR 50 Lakhs per annum for a period of 3 years from the date of commencement of commercial operations.

6.1.14 Relocation Subsidy

Eligible units may avail reimbursement towards one-time relocation expenses incurred for employees relocating to Uttar Pradesh from locations outside the State, limited to 50% of the actual expenditure, subject to a maximum of INR 50,000 per employee, and an overall ceiling of INR 1 Crore per unit. This benefit shall be admissible only for employees drawing a monthly gross salary exceeding INR 1,00,000, where gross salary shall comprise Basic Salary, Dearness Allowance (DA), HRA, conveyance allowance, medical reimbursement, and similar benefits. Reimbursement shall be allowed only once per employee under the policy, subject to fulfilment of prescribed conditions and submission of necessary documentary evidence as per applicable guidelines.

6.1.15 Internship Assistance

Assistance for creating internship opportunities in form of reimbursement at the rate of 50 percent of the costs subject to a ceiling of INR 5,000 per student per month, whichever is lower, capped to maximum 5 interns per annum for 3 years post commencement of commercial operations, incurred by eligible unit for payment of stipend to students having UP-domicile. The internship will be onsite at the location of the unit and should last for at least 2 months.

6.2 Benefits for Expansion Units

Expansion units shall be eligible to claim the following incentives:

6.2.1 Eligible expansion units will be eligible to claim capital subsidy at the rate of 25% on the incremental Fixed Capital Investment (FCI), subject to a maximum subsidy of Rs 50 Crores.

6.2.2 EPF reimbursement, payroll subsidy, skill development incentives, recruitment assistance, relocation subsidy shall be provided at the same rate and as per the terms and conditions mentioned above for new units. The average employee headcount during the year before expansion shall be considered as the baseline employee headcount. The incremental headcount over and above the baseline headcount is alone considered for employment-related benefits.

6.2.3 For units operating from owned/bare shell/plug and play facility, monthly operating expense subsidy at the rate of 25% (max upto INR 25 per sq ft) will be provided, on the eligible operating expenses in proportion to the percentage increase in headcount, upto a maximum of INR 40 Crore per year

6.2.4 For units operating from co-working spaces, monthly operating expense subsidy at the rate of 25% of the incremental seats taken, or INR 3,000 per seat per month, whichever is lower shall be provided, upto a maximum of INR 40 Crore per year.

6.3 Benefits for Units with investment exceeding INR 500 Cr

75% land rebate and 40% capital subsidy (maximum capital subsidy upto Rs 400 Crores), to be provided to IT/ITeS units with investments exceeding INR 500 Cr (except in districts of Gautam Buddha Nagar and Ghaziabad), subject to the approval of the State Cabinet on the recommendations of the Empowered Committee. The capital subsidy disbursal shall be done in equal annual installments over five years post commencement of commercial operations.

6.4 Non-Fiscal Incentives

6.4.1 Exemption from the purview of the UP Pollution Control Act, except in case of power generation sets of capacity of more than 25 KVA for IT/ITeS Industry.

6.4.2 Exemption for IT/ITeS industry from inspections under the acts mentioned in clause 6.4.3 and rules framed there under, barring inspections arising out of specific complaints. Under this provision, units shall be eligible for inspection only once in every 5 years

6.4.3 The IT/ITeS industry are permitted to file self-certifications (may be amended from time to time), in the prescribed formats for:

i. The Factories Act
ii. The Maternity Benefit Act
iii. The Shops & Establishments Act
iv. The Contract Labour (Regulations & Abolition) Act
v. The Payment of Wages Act
vi. The Minimum Wages Act

vii. The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act

6.4.4 Permission to IT/ITES companies to have 24x7 operations (to run in three shifts) and employment of women in all three shifts.

6.4.5 The State Government as and when necessary, may notify certain IT/ITeS units as 'essential services'/ public utility services.

6.4.6 Floor Area Ratio (FAR): FAR 3 and 1 (Purchasable, as per building by-laws prevalent at that time) applicable to IT/ITeS units.

6.4.7 The above non-fiscal incentives are applicable for both new units and expansion units

6.4.8 The Department of IT & Electronics shall, in collaboration with State Development Authorities, Industrial Development Authorities and real estate developer associations, establish and maintain a unified digital portal serving as a single-window repository of all available land parcels and Grade A office spaces across Uttar Pradesh, to enable ease of access for investors

7. Implementation Framework

7.1. State Level Empowered Committee

7.1.1. A State Level Empowered Committee formed under the chairmanship of the Chief Secretary shall oversee the development of UP IT/ITeS Policy and monitor its implementation.

7.1.2. The Empowered Committee shall provide recommendations to the State Cabinet for approval of investment proposals greater than INR 200 Cr for development of IT City/ IT Park/ Large IT/ ITeS projects/ CoEs /R & D Center. The committee shall also be responsible for inter-departmental coordination and for grievance redressal of investors.

7.1.3. The Constitution of the EC is provided in Annexure 2.

7.2. Policy Implementation Unit

7.2.1. A Policy Implementation Unit (PIU) shall be established under the chairmanship of Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Department of IT & Electronics. The Policy Implementation Unit shall take decisions on matters pertaining to effective and successful implementation of this Policy.

7.2.2. The PIU shall be responsible for providing recommendations and approving the investment proposal worth up to INR 200 Cr for IT/ITeS projects/ IT City/ IT Park established in Uttar Pradesh. Investment proposals worth more than INR 200 Cr shall be recommended to the Empowered Committee for necessary approval. It shall provide timely redressal of any grievances and facilitate necessary guidance and support. In case, PIU is not able to decide on a particular issue, it shall be taken up to the Empowered Committee, chaired by the Chief Secretary.

7.2.3. The Constitution of the PIU is provided in Annexure 3.

7.3. Nodal Agency

7.3.1. UP Electronics Corporation Ltd. (UPLC) will be the nodal agency for implementing this policy.

7.4. Project Management Unit

7.4.1. A dedicated Project Management Unit (PMU) comprising of outsourced professionals and consultants shall be constituted under the nodal agency to support and monitor the implementation.

8. Policy Period and Applicability

8.1 The Amended policy will come into effect on the date of its notification and will remain in force for the period of 3 years or till a new policy/amendment, whichever is earlier, is announced.

8.2 Incentives shall be available to the following units under this policy:

8.2.1. Proposals submitted after the notification of this policy.

8.2.2. Incentives under the policy are applicable for both the new units and the units proposing expansion.

8.3 The units availing incentives under this policy shall commence commercial operations within the following timelines:

Eligible FCI	Time limit for commencement of commercial operations
Up to Rs 200 crores	4 years from the date of issuance of Letter of Comfort (LoC)/ date of first investment, whichever is earlier
Greater than Rs 200 crores	5 years from the date of issuance of Letter of Comfort (LoC)/ date of first investment, whichever is earlier

8.4 Applications submitted on or after the date of notification of this Policy shall be eligible for consideration under this Policy. The benefits under this Policy shall be available only to New Units and Expansion Units that have incurred less than twenty percent (20%) of their proposed project investment prior to such notification and have not commenced commercial operations before the notification of this policy. Subject to fulfillment of other applicable conditions, only investments made after the date of notification of this Policy and within the timelines prescribed under Clause 8.3 shall be considered as Fixed Capital Investment and shall be eligible for incentives under this Policy. Investors that have incurred more than twenty percent (20%) of their proposed project investment shall be considered admissible for incentives under the UP IT and ITeS Policy 2022.

8.5 Cases under previous IT/ ITeS policies for which LOC has been issued will be governed by provisions of the previous policies.

8.6 Total incentives admissible to any unit or infrastructure project shall not exceed 100% of its Fixed Capital Investment.

8.7 All incentives are admissible only to units approved under the UP IT and ITeS Policy 2022 (First Amendment).

Definitions

a) **"IT Industry"** includes IT Hardware and IT/ITeS units/companies, where IT units/ companies include IT Applications, software and IT services and IT Enabled Services includes BPO/ KPO/Consulting /Animation/Artificial Intelligence/ Gaming and other Knowledge Industry units.

b) **Software services** include the following: Application software, Operating system, Middleware/Firmware, any component level development, Design and Quality assurance work, System integration work/components, any localization and SCM work in the software and Extension development (modules outside the main software).

c) **"IT"** is defined as any service which results from the use of any IT software over a system of IT products for realizing value addition. Information Technology (IT) services include:

- Application software
- Internet Service Provider
- E-mail Service Provider
- Worldwide web Service Provider
- E-commerce and content development
- Electronic Data Interchange (EDI) Services
- Video conferencing
- V-SAT, ISDN services
- Electronic Data Center activities
- AI & Machine Learning – GenAI, Agentic AI, Multi-Agent Systems LLMs, Foundational AI research
- Data Computing – Cloud Infrastructure, Edge Computing, Quantum Computing
- Automation – Robotics, RPA (Robotic Process Automation), Intelligent process automation
- Aerospace / SpaceTech – Satellite technology, Space systems, Defence-adjacent digital platforms
- Semiconductors – Chip design, Fabrication support Semiconductor ecosystem development
- Connectivity – 5G/6G infrastructure, IoT networks, Next-generation communication
- Blockchain / Web3 – Distributed ledger technologies, Decentralized applications, Digital identity
- Digital Experience – AVGC (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics), AR/VR, Digital Twin, Immersive media technologies
- Advanced Manufacturing – Industry 4.0, Smart factories, Digital-physical convergence

d) **"IT enabled Services"** include processes and services that are delivered over telecom networks or the internet to a wide range of business segments such as Medical Transcription, Legal Database processing, IT, Education and Training, Legal process outsourcing, IPR services, Digital content development / animation, Remote Maintenance, Back-office operations – Accounts/Financial services, Electronic, Medical and Health consultancy, Bio informatics, Data Processing and Call Centers etc. ITeS include, but are not limited to:

- R&D
- E-commerce/ digital marketplaces/ online aggregators

- Global Capability Centers (GCCs)
- BPM (Business Process Management)
- Customer Interaction Services, e.g., call/contact centers and email help desks
- Engineering and Design
- Back Office Processing
- Finance and Accounting (provided remotely)
- Insurance Claims Processing (provided remotely)
- HR Services (provided remotely)
- Web site Development and Maintenance Services
- Data search, Integration and Analysis network consulting and Management
- Remote Education
- Animation (provided remotely)
- Gaming
- Market Research (provided remotely)
- Translation, Transcription and Localization (provided remotely)
- Consultancy (provided remotely) for:
    - IT sector
    - ERP – Enterprise Resource Planning (e.g. SAP, Oracle etc.)
    - CRM – Customer Relationship Management
    - MRM- Marketing Resource Management
    - Technical support
    - Business Systems and Processes
- Data Processing
- System Integration and Customization
- System Upgradation Services
- Designing Systems
- Call Centers: i. Voice- Both inbound and outbound ii. Data- Both inbound and outbound
- Software Extension Development
- IT Facilities Management (including provided remotely)
- Such other services as may be notified from time to time

e) **Unit** means an IT/ITeS unit owned by an entity constituted as a company, partnership firm including a LLP, Society, Trust, Industrial Cooperative Society or Proprietary concern, which does not include a unit in the joint sector or public sector where the share capital of Government or a Government undertaking is 50% or higher.

f) **Expansion Unit** means an existing unit in Uttar Pradesh undertaking expansion, such that the existing headcount of IT employees on its payroll increases by 25% or by minimum 25 IT employees, whichever is higher, during the policy term.

g) **Fixed Capital Investment** (FCI) shall comprise of expenditure on building construction, leasehold improvements, interior partitions, furniture & fittings, electrical and plumbing installations, IT-

specific building services, plant and machinery (including computers, R&D equipment, networking hardware, and related assets), software, and infrastructure utilities. Land cost and expenditure on purchase of building are not included in FCI. Only expenses capitalized in the unit's books of accounts are considered as capital expenditure. Costs associated with building construction, building improvement, furniture and fixtures and infrastructure utilities are excluded if operations are from co-working/plug and play spaces.

h) State Agencies

- Industrial Development Authorities
- Housing Boards
- Other State Institutions notified by the Government

i) IT City: An IT City requires minimum 20 acres of land which will be used in the ratio of 60:40 approximately as processing and non-processing area. The processing area would consist of only IT units like IT companies, BPO's, KPO's etc. The non-processing area would include residential facilities, public utility offices/facilities/commercial area, Education, Healthcare, and open spaces.

j) IT Park: An IT Park is constructed with minimum floor area of approximately 2,500 square meters for Lucknow, Kanpur, Agra, Prayagraj, Varanasi and 1,500 square meters for rest of UP. It may or may not include public utility offices/ facilities in the said premises. The area allotted for IT activities should be 75% of the allocable area. An IT Park contains most of the technological infrastructure similar to an IT city like optic fiber connectivity, Broad band connectivity, Wi-Fi access, Video conferencing facilities etc. IT Park is a subset of an IT City with entire area dedicated majorly on IT activities.

k) Commencement of Commercial Operations, shall mean the **date on which the IT/ITeS unit** or **infrastructure project officially begins its business activities,** marked by the generation of revenue, i.e. the date of the first commercial sale bill/ invoice raised by the entity through the provision of services or operations.

l) Eligible Operating Expenses (OPEX): **Eligible Operating Expenses** shall comprise of the following:

i. **Lease Rentals**
Reimbursement is provided for leasing office space for establishment of IT/ITeS units based on actual lease rent. This shall be eligible for units who have a registered lease deed for a minimum period of 5 years.

ii. **Bandwidth Expenses –**
Reimbursement is provided for actual expenses on bandwidth connectivity that has been paid to a licensed internet service provider.

iii. **Data Center/Cloud Service Costs -**
Reimbursement is provided for actual expenses incurred on availing Data Center or Cloud services for running operations of IT/ITeS Unit.

iv. **Power Charges –**
Reimbursement is provided for actual power tariffs paid towards energy consumed for running operations of IT/ITeS Unit.

m) Co-working Spaces: A co-working space means a shared office space that provides common infrastructure, services, and amenities required for the smooth functioning of a business. The applicant should have a minimum dedicated area of 1,000 sq mt for co-working activities, or atleast 100 seats, such that the space is occupied by multiple entities. Illustrative list of amenities and services includes the following:

(i) Ready to use and plug-n-play facilities and furniture for each individual seat claimed

(ii) Technological equipment

(iii) High-speed internet connectivity and IT support

(iv) Printing, scanning and photocopy services

(v) Conference room(s)

(vi) Reception area

(vii) Power supply

(viii) Housekeeping services

(ix) CCTV camera with monitoring and storage facilities.

Annexure 1: Classification of Districts

Poorvanchal	Bundelkhand	Madhyanchal	Paschimanchal
Ayodhya Region	Jhansi Region	Kanpur Region	1. Gautam Buddha Nagar
1. Ayodhya	1. Jhansi	1. Kanpur Nagar	2. Ghaziabad
2. Ambedkar Nagar	2. Jalaun	2. Kanpur Dehat	Agra Region
3. Sultanpur	3. Lalitpur	3. Etawah	1. Agra
4. Amethi	Chitrakoot Region	4. Auraiya	2. Firozabad
Gorakhpur Region	4. Banda	5. Farrukhabad	3. Mainpuri
5. Gorakhpur	5.Chitrakoot	6. Kannauj	4. Mathura
6. Deoria	6. Hamirpur	Lucknow Region	Aligarh Region
7. Maharajganj	7. Mahoba	7. Lucknow	5. Aligarh
8. Kushinagar		8. Hardoi	6. Hathras
Prayagraj Region		9. Lakhimpur Kheri	7. Kasganj
9. Prayagraj		10. Raebareli	8. Etah
10. Kaushambi		11. Sitapur	Moradabad Region
11. Fatehpur		12. Unnao	9. Moradabad
12. Pratapgarh		13. Barabanki	10. Bijnor
Varanasi Region			11. Sambhal
13. Varanasi			12. Rampur
14. Chandauli			13. Amroha
15. Jaunpur			Meerut Region
16. Ghazipur			14. Meerut
Mirzapur Region			15. Bulandshahar
17. Mirzapur			16. Hapur
18. Sant Ravidas Nagar			17. Baghpat
19. Sonbhadra			Saharanpur Region
Azamgarh Region			18. Muzaffarnagar
20. Azamgarh			19. Shamli
21. Ballia			20. Saharanpur
22. Mau			Bareilly Region
Devipatan Region			21. Bareilly
23. Gonda			22. Badaun
24. Bahraich			23. Pilibhit
25. Balrampur			24. Shahjahanpur
26. Shravasti			
Basti Region			
27. Basti			
28. Sant Kabir Nagar			
29. Siddharth Nagar			

Annexure 2: Constitution of Empowered Committee

S. No.	Designation	Role
1	Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh	Chairperson
2	Infrastructure and Industrial Development Commissioner, Government of Uttar Pradesh	Member
3	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Finance Department, Government of Uttar Pradesh	Member
4	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Planning Department, Government of Uttar Pradesh	Member
5	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Department, Government of Uttar Pradesh	Member
6	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, State Tax Department, Government of Uttar Pradesh	Member
7	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Energy Department, Government of Uttar Pradesh	Member
8	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Labour Department, Government of Uttar Pradesh	Member
9	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Revenue Department, Government of Uttar Pradesh	Member
10	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Housing and Urban Planning Department, Government of Uttar Pradesh	Member
11	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh	Member
12	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Stamp and Registration Department, Government of Uttar Pradesh	Member
13	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Department of Information Technology and Electronics, Government of Uttar Pradesh	Member Secretary

Apart from this, as required, the Additional Chief Secretary/Principal Secretary of other departments shall be members of this Committee.

Annexure 3: Constitution of Policy Implementation Unit

S. No.	Designation	Role
1	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Department of Information Technology & Electronics, Government of Uttar Pradesh	Chairperson
2	Additional Chief Secretary/Principal Secretary or his nominated representative (above Special Secretary rank), State Tax Department	Member
3	Additional Chief Secretary/Principal Secretary or his nominated representative (above Special Secretary rank), Stamp and Registration Department	Member
4	Additional Chief Secretary/Principal Secretary or his nominated representative (above Special Secretary rank), Infrastructure and Industrial Development Department	Member
5	Additional Chief Secretary/Principal Secretary or his nominated representative (above Special Secretary rank), Finance Department	Member
6	Additional Chief Secretary/Principal Secretary or his nominated representative (above Special Secretary rank), Labour Department	Member
7	Additional Chief Secretary/Principal Secretary or his nominated representative (above Special Secretary rank), Housing and Urban Planning Department	Member
8	Special Secretary, Department of Information Technology & Electronics, Government of Uttar Pradesh	Member
9	Managing Director, UPPCL or his nominated representative	Member
10	Managing Director, UPLC	Member Secretary

अनुलग्नक "ख"

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 (प्रथम संशोधन)

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

विषय सूची

1	**प्रस्तावना**		
2	**नीतिगत संरचना**		
	2.1	परिकल्पना	
	2.2	सामरिक उद्देश्य	
3	**अवसंरचना संवर्द्धन**		
	3.1	आईटी पार्क	
	3.2	आईटी सिटी	
	3.3	को-वर्किंग स्पेस डेवलपर्स	
4	**इनोवेशन ईकोसिस्टम को बढ़ावा**		
	4.1	उत्कृष्टता केन्द्र	
	4.2	अनुसंधान एवं विकास समर्थन	
5	**कौशल विकास**		
6	**सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0जनित सेवा इकाइयों हेतु प्रोत्साहन**		
	6.1	नई इकाईयों हेतु वित्तीय प्रोत्साहन	
		6.1.1 पूंजी उपादान	
		6.1.2 परिचालन व्यय उपादान	
		6.1.3 भूमि पर छूट	
		6.1.4 ब्याज उपादान	
		6.1.5 स्टैम्प ड्यूटी	
		6.1.6 रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान	
		6.1.7 रिक्रूटमेण्ट सहायता	
		6.1.8 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन	
		6.1.9 पेटेन्ट्स फाइलिंग लागत	
		6.1.10 घर से काम	
		6.1.11 पे-रोल उपादान	
		6.1.12 निर्यात से सम्बद्ध प्रोत्साहन	
		6.1.13 कौशल विकास प्रोत्साहन	
		6.1.14 रि-लोकेशन उपादान	

		6.1.15 इंटर्नशिप सहायता	
	6.2	विस्तारित इकाईयों हेतु लाभ	
	6-3	500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली इकाइयों के लिए लाभ	
	6-4	गैर-वित्तीय प्रोत्साहन	
7	**क्रियान्वयन ढाँचा**		
8	**नीति अवधि तथा प्रयोज्यता**		
परिभाषायें			
अनुलग्नक 1: जिलों का वर्गीकरण			
अनुलग्नक 2: संशक्त समिति का गठन			
अनुलग्नक 3: नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन			

1. प्रस्तावना

वैश्विक स्तर पर, आईटी और आईटीईएस बाजार के 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से (सीएजीआर) से बढ़ने और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11.86 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की आशा है। आईटी और आईटीईएस क्षेत्र विशेष रूप से विकासशील देशों में अपार सम्भावनाओं के साथ बड़े पैमाने पर विकास चालक के रूप में उभरा है। भारत में, यह क्षेत्र 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8प्रतिशत योगदान करने सहित अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकास उत्प्रेरक बन गया है और कुल निर्यात में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के आईटी उद्योग का राजस्व बढ़कर 227 अरब डॉलर हो गया जो वार्षिक आधार पर 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मौजूदा रुझानों और नई प्रौद्योगिकियों के प्रारम्भ के आधार पर उद्योग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 350 बिलियन डॉलर राजस्व का स्तर प्राप्त कर लेने का अनुमान है। डिजिटल प्रतिभा के वैश्विक केन्द्र के रूप में, भारत का आईटी क्षेत्र अनुमानतः 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार देता है और यह महिलाओं का निजी क्षेत्र का सबसे बडा नियोक्ता भी है। उत्तर प्रदेश (यूपी), सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उत्तर भारत के आईटी हब के रूप में जाना जाता है, जो देश में सॉफ्टवेयर निर्यात मे छठवें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश राज्य में आईटी और आईटीईएस क्षेत्र 1.2 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017-22 के तहत, राज्य को लगभग 53,000 व्यक्तियों के रोजगार के साथ लगभग 6,300 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

पिछले कई वर्षों में, आईटी और आईटीईएस क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में एक उदीयमान क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है और अब गतिशील व्यावसायिक परिवेश में बचे रहने के लिए एक आवश्यकता बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार आईटी और आईटीईएस क्षेत्र के इस प्रभुत्व को पहचानती है तथा आईटी और आईटीईएस उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रभावी नीति कार्यान्वयन के माध्यम से बुनियादी ढॉचे और मानव पूंजी विकास को विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इस सन्दर्भ में, राज्य में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जहॉ से उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति उपलब्ध होती है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, वाराणसी, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान प्रयागराज, आईआईआईटी प्रयागराज सहित देश के कई शीर्ष संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं जो सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढॉचे और शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं।

इस नीति का उद्देश्य एक सुदृढ़ व्यावसायिक माहौल को सक्षम करके आईटी सिटी, आईटी पार्क्स तथा आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स, ब्लॉकचेन, बिग डाटा, क्लाउड कम्प्यूटिंग तथा इन्टरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उदीयमान प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से राज्य में एक तकनीकी बदलाव की दिशा में सहयोग और समेकन को प्रोत्साहित करके इस क्षेत्र के लिए एक सुदृढ़ ईकोसिस्टम का निर्माण करना है। इसके अन्तर्गत नवचार में तीव्रता लाने तथा नवाचार विशिष्ट

(इन्नोवेशन स्पेसिफिक) वित्तपोषण के परिचालन के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप सुदृढ़ उद्योग-अकादमिक सहयोग तथा सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढाँचे सहित डेडीकेटेड इनोवेशन हब द्वारा एक अनुकूल नियामक परिदृश्य के सक्षम किया जाना प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 'डिजिटल इण्डिया' तथा 'रिफॉर्म, परफॉर्म एण्ड ट्रॉसफॉर्म' मन्त्र के दृष्टिकोण के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-अर्थव्यवस्था के रूप में बदल रही है जिससे 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के अनुरूप निवेश हेतु सपनों की मँजिल बनने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

उत्तर प्रदेश, जिसे हाल ही में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में एक एचीवर राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ने श्रम विनियमन, भूमि प्रशासन, सूचना तक पहुँच और पारदर्शिता, ऑनलाइन सिंगल विन्डो और निर्माण अनुमतियों आदि से सम्बन्धित कई व्यापक सुधारों के कार्यान्वयन के माध्यम से वृहद प्रगति की है। उद्योग बन्धु एक समर्पित राजकीय निकाय है जो राज्य में अपना व्यवसाय स्थापित करने की योजना बना रहे निवेशकों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त 29 विभागों से 353 सेवायें प्रदान करने वाला एक समर्पित सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स पोर्टल - निवेश मित्र, विभिन्न अनुमोदनों को तीव्रता और समयबद्ध रूप से जारी करने की सुविधा के लिए स्थापित किया गया है।

2. नीतिगत संरचना

2.1 परिकल्पना

उत्तर प्रदेश के आईटी परिदृश्य को उच्च क्षमता युक्त प्रतिभा तथा विश्वस्तरीय आईटी अवसंरचना सहित, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक विश्वसनीय और अग्रणी वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए बदलना, नवाचार को बढ़ावा देना तथा सम्पूर्ण प्रदेश को एक सतत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर करना।

सभी आकार के उद्यमों को शामिल करते हुए आईटी इकोसिस्टम के समान और व्यापक विकास को सुनिश्चित करना। इस नीति का उद्देश्य छोटे, मध्यम और वृहद् आईटी/आईटीईएस कंपनियों को समान रूप से सक्रिय रूप से समर्थन और प्रोत्साहन देना है, जिसमें छोटे और उभरते हुए उद्यमों के विकास और भागीदारी को सक्षम बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। अनुकूल और सहायक नीतिगत वातावरण बनाकर, सरकार का संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और मूल्य श्रृंखला में उद्यमों के विस्तार को सुगम बनाने का प्रयास है।

2.2 सामरिक उद्देश्य

इस सूचना प्रौद्योगिकी और सू0प्रौ0जनित सेवा नीति के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य का प्रयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:-

2.2.1 **अवसंरचना** : राज्य में आईटी पार्क्स, आईटी सिटी विकसित करके नवीन और उन्नत प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आईटी/आईटीईएस क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढाँचे के विकास की सुविधा।

2.2.2 **नवाचार:** मेन्टर्स तक पहुँच के रूप में एक सक्षम तंत्र प्रदान करके इनोवेशन ईकोसिसटम को प्रोत्साहन, उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना तथा उदीयमान प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देने के साथ अनुसन्धान और विकास को बढ़ावा।

2.2.3 **क्षमता निर्माण** : अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी (यथा डाटा एनालिटिक्स, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स, मशीन लर्निंग आदि) पर मौजूदा और युवा कार्यबल के कौशल स्तर को बढ़ाना तथा उद्योग के लिए तैयार एक प्रतिभा पूल का विकास।

2.2.4 **निवेश** : निवेशक सुविधा को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी कम्पनियों के लिए उत्तर प्रदेश को एक पसन्दीदा निवेश गन्तव्य बनाना तथा नीति अवधि के दौरान घरेलू और साथ ही विदेशी निवेश को आकर्षित करना।

2.2.5 **निर्यात** : उत्तर प्रदेश के अन्दर एसटीपीआई में स्थापित इकाइयों के लिए सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स प्रदान करने सहित इस क्षेत्र में भारत के निर्यात में काफी अधिक योगदान करने के लिए राज्य के आईटी/ आईटीईएस क्षेत्र की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना।

2.2.6 **रोजगार** : स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन देकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के राज्यव्यापी अवसर प्रदान करना।

2.2.7 **क्षेत्रीय विकास** : सम्पूर्ण प्रदेश में आईटी/आईटीईएस इकाइयों की स्थापना के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के माध्यम से आईटी पैठ तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना।

3. अवसंरचना संवर्द्धन

उत्तर प्रदेश में पहले से ही बड़ी संख्या में आईटी/आईटीईएस कम्पनियॉ हैं, जिन्होंने राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित की हैं। एचसीएल ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से परिचालन और कौशल विकास गतिविधियों के लिए 100 एकड़ में एक समर्पित आईटी सिटी स्थापित किया है। राज्य में वर्तमान में नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से विकसित एसटीपीआई पार्क्स संचालित हैं। आगरा में एक और आईटी पार्क शीघ्र ही चालू हो जायेगा। अन्य एसटीपीआई पार्क वाराणसी तथा बरेली नगरों में विकसित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार सुगम आवागमन वाले स्थान पर रेडी-टू-आक्यूपाई कार्यस्थानों के विकास को सहयोग प्रदान कर आईटी ईकोसिस्टम को प्रोत्साहन प्रदान करेगी जिससे आईटी/आईटीईएस इकाइयों को राज्य के अन्दर अपना परिचालन तत्काल आरम्भ करने में सुविधा होगी। आईटी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित पहल किए जाने का प्रस्ताव है:-

3.1 आईटी पार्क

3.1.1 गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में ग्रीनफील्ड आईटी पार्क के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

3.1.2 आईटी पार्क के विकास हेतु किए गए पात्र पूँजीगत व्यय की 25 प्रतिशत सहायता प्रदान की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा रु 20 करोड़ होगी।

3.1.3 पूंजीगत व्यय में, भूमि की लागत को छोड़कर, भवन निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं पर किया गया व्यय सम्मिलित होगा।

3.1.4 पूंजीगत प्रोत्साहनों का 80 प्रतिशत कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत पर किये गये व्यय के आधार पर चार किश्तों में प्रदान किया जायेगा। अन्तिम 20 प्रतिशत सहायता बिल्ट-अप फ्लोर क्षेत्र का 50 प्रतिशत, इकाइयों को उनके वाणिज्यिक परिचालन के लिए आवंटित/पट्टे पर दिये जाने के बाद जारी की जायेगी।

3.1.5 विकासकर्ता द्वारा भूमि के क्रय/पट्टे पर स्टाम्प शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

3.1.6 सरकार द्वारा वाह्य अवसंरचना सुविधाओं अर्थात् सड़कों (लोक निर्माण विभाग द्वारा), विद्युत अवसंरचना (ऊर्जा विभाग) के विकास के लिए सहायता प्रदान की जायेगी। भवन अनापत्ति प्राप्त करने में भी सहयोग दिया जायेगा।

3.1.7 फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर.): एफएआर 3 और 1 (तत्समय प्रचलित भवन उप-नियमों के अनुसार क्रय योग्य) आईटी पार्क्स पर लागू।

3.1.8 विकासकर्ताओं के संघ (कन्सोर्टियम) की भी अनुमति होगी।

3.1.9 उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के नीतिगत प्राविधानों, नियम एवं शर्तों के अनुसार त्वरित आधार पर तरजीही भूमि आवंटन किया जायेगा।

3.1.10 सह-कार्यस्थलों (को-वर्किंग स्पेसेज) की मेजबानी करने वाले आईटी पार्क भी उपरोक्त प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे।

3.1.11 सशक्त समिति की अनुशंसा तथा मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन, 500 करोड़ रुपये से अधिक (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़कर) का निवेश करने वाली आईटी पार्क को भूमि पर 75% छूट (Land Rebate) तथा 40% पूंजीगत उपादान (पूंजीगत उपादान अधिकतम रू 400 करोड़ तक) (Capital Subsidy) प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा ।

3.2 आईटी सिटी

3.2.1 आईटी सिटी एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां आईटी/ आईटीईएस गतिविधियों और 'पदयात्रा द्वारा कार्य संस्कृति' को बढ़ावा देने के लिए

अत्याधुनिक बुनियादी ढॉचा मौजूद है। इसमें आवासीय एवं वाणिज्यिक परिसरों के साथ आईटी/आईटीईएस कार्यालय स्थल/ आईटी पार्क, सह-कार्यस्थल शामिल हैं और सभागार, फूड कोर्ट, व्यायामशाला, सम्मेलन कक्ष आदि शामिल हो सकते हैं।

3.2.2 राज्य सरकार द्वारा पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़कर), मध्यांचल, पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड - प्रत्येक क्षेत्र में एक आईटी सिटी विकसित करने और इस प्रकार सम्पूर्ण राज्य में आईटी इकाइयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास है।

3.2.3 सरकार वैश्विक मानकों के अनुरूप आधुनिक सुविधाओं सहित, समर्पित अत्याधुनिक आईटी सिटी के विकास के लिए विकासकर्ताओं/ विकासकर्ताओं के संघ को प्रोत्साहित करेगी। सहायता निम्नलिखित प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रदान की जायेगी:-

- जोनिंग/भूमि उपयोग कानूनों में शिथिलता
- लचीले फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (एफएसआई) मानदण्ड लागू करना
- यूटिलिटीज डोरस्टेप सहायता का विस्तार
- आवश्यक सांविधिक स्वीकृतियों की प्राप्ति में सहायता
- विकासकर्ता द्वारा भूमि का क्रय करने/पट्टे पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट
- पूँजीगत व्यय सहायता - आईटी सिटी के विकास के लिए किये गये पात्र पूंजीगत व्यय के 25 प्रतिशत का एकमुश्त सहयोग रु 100 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित, प्रदान किया जायेगा। पात्र पूंजीगत व्यय में भूमि की लागत को छोड़कर भवन निर्माण तथा अवसंरचना सुविधायें सम्मिलित होंगी। इसके अतिरिक्त, केवल प्रसंस्करण क्षेत्र (प्रोसेसिंग एरिया) में किये गये पूंजीगत व्यय को पात्र माना जायेगा। विकासकर्ता को पात्र पूंजीगत व्यय का 80 प्रतिशत कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत पर किये गये व्यय के आधार पर चार किश्तों में प्रदान किया जायेगा। अन्तिम 20 प्रतिशत सहायता बिल्ट-अप फ्लोर क्षेत्र का 50 प्रतिशत, इकाइयों को उनके वाणिज्यिक परिचालन के लिए आवंटित/पट्टे पर दिये जाने के बाद जारी की जायेगी।
- सशक्त समिति की अनुशंसा तथा मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन, 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली आईटी सिटी (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़कर) को भूमि पर 75% छूट (Land Rebate) तथा 40% पूंजीगत उपादान (पूंजीगत उपादान

अधिकतम रू 400 करोड़ तक) (Capital Subsidy) प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा

3.3 को-वर्किंग स्पेस डेवलपर्स

3.3.1 राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में को-वर्किंग स्पेस के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

3.3.2 को-वर्किंग स्पेस के निर्माण के लिए पात्र पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 20 करोड़ होगी।

3.3.3 उपादान का संवितरण तीन वर्षों में समान वार्षिक किश्तों में केवल उस स्थिति में किया जाएगा जब 50 प्रतिशत सीटें आईटी/आईटीईएस इकाइयों को आवंटित/पट्टे पर दे दी जाएंगी।

3.3.4 पूंजीगत व्यय में भवन निर्माण/सुधार/नवीनीकरण और अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर किया गया व्यय सम्मिलित होगा, जिसमें भूमि की लागत सम्मिलित नहीं होगी।

3.3.5 किराए अथवा लीज पर प्राप्त परिसर में स्थापित किए जाने वाले को-वर्किंग स्पेस के लिए न्यूनतम 5 वर्षों का पंजीकृत पट्टा विलेख होना अनिवार्य होगी

4 इनोवेशन ईकोसिस्टम को बढ़ावा

इस नीति में निम्नलिखित पहल के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला एक ईकोसिस्टम बनाया जाना प्रस्तावित है:.

4.1 उत्कृष्टता के केन्द्र

4.1.1 नीति में आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स) के रूप में विश्वस्तरीय बुनियादी ढॉचा बनाने की परिकल्पना की गई है।

4.1.2 नीति का लक्ष्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों तथा/अथवा उद्योग संघों/ उद्योग अथवा किसी अन्य सरकारी/निजी संस्था के सहयोग से 3 उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना किया जाना है, उत्कृष्टता केन्द्र की कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रु 10 करोड़ के अधीन) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

4.1.3 सशक्त समिति उत्कृष्टता के केन्द्र की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम होगी।

4.2 अनुसंधान एवं विकास सहायता

सरकार द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) / वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा इस प्रयोजन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति

द्वारा अनुमोदित स्टैण्डएलोन/इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों तथा डिजाइन सेन्टर्स को समर्थन प्रदान किया जायेगा।

4.2.1 वित्तीय सहायता 5 वर्षों की अवधि में एक इकाई के लिए अधिकतम रु 5 करोड़ की सीमा तक, पात्र अनुसंधान एवं विकास व्यय के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति (पूँजी और परिचालन व्यय को सम्मिलित करते हुए) के रूप में प्रदान की जायेगी।

4.2.2 पात्र प्रतिपूर्ति राशि की 50 प्रतिशत धनराशि अर्द्धवार्षिक आधार पर प्रदान की जायेगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि उत्पाद/शोध एवं विकास गतिविधियों के सफल विकास के उपरान्त संवितरित की जायेगी।

4.2.3 अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां जिन्हें इस प्राविधान के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान किया जाना है, आईटी/आईटीईएस के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में सम्मिलित होना अपेक्षित है। इस प्रकार की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को इकाई के व्यवसाय की प्रकृति यथा नई प्रौद्योगिकियों का विकास, डिजाइन और इन्जीनियरिंग, उत्पाद विकास, विश्लेषण और परीक्षण की नई विधियों का विकास तथा संसाधनों के उपयोग में दक्षता वृद्धि के लिए अनुसंधान इत्यादि से सम्बन्धित होना चाहिए। आवेदन के समय अनुसंधान एवं विकास इकाई(यों) के पास भली प्रकार से पारिभाषित, समयबद्ध अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम होने चाहिए जो नवीन उत्पादों और/ अथवा प्रौद्योगिकी(यों) के विकास के लिए हों। पूरी तरह से बाजार अनुसंधान, कार्य और विधियों के अध्ययन, संचालन और प्रबन्धन अनुसंधान, संचालन, प्रक्रिया नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा दिन-प्रतिदिन के उत्पादन के रख-रखाव और संयंत्र के रख-रखाव के लिए नियमित प्रकृति के परीक्षण और विश्लेषण में लगी इकाइयों को शोधन एवं विकास केन्द्र नहीं माना जायेगा।

4.2.4 एक नये अनुसंधान एवं विकास गतिविधि के लिए अनुसंधान एवं विकास व्यय करने वाली उत्तर प्रदेश में स्थापित विद्यमान इकाइयॉ इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

4.2.5 इस प्राविधान के तहत प्रस्ताव में शोध एवं विकास उपकरण से सम्बन्धित किसी भी पूंजीगत व्यय को सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिस पर पहले ही धारा 6 के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्रदान किया जा चुका हो।

5 कौशल विकास

कुशल सूचना प्रौद्योगिकी जनशक्ति की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने और कौशल की मांग और आपूर्ति के बीच विद्यमान अन्तर को कम करने के लिए, एक ऐसी पहल आरम्भ करने की अनिवार्य आवश्यकता है जो वृद्धिमान अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने की चुनौती का समाधान

कर सकेगी। सरकार इस नीति के माध्यम से मौजूदा और नये कार्यबल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहल करेगीः-

5.1 उदीयमान प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में प्रमाणन पूरा करने के लिए प्रोफेशनल्स/ कार्मिकों और छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी के पाठ्यक्रम शुल्क के 50 प्रतिशत, रु 50,000/- तक की प्रतिपूर्ति की जायेगी। आईटी/आईटीईएस कम्पनियों, उद्योग संघों, शैक्षणिक संस्थानों आदि की एक स्थायी समिति द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं की सूची पर, उनके पैनल सहित परामर्श प्रदान किया जायेगा एवं पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जायेगा, जिन्हें उद्योग के रुझान तथा जरुरतों के अनुसार आवधिक आधार पर संशोधित किया जा सकता है।

5.2 यूपी कौशल विकास मिशन (एसडीएम) आईटी/आईटीईएस क्षेत्र से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों पर प्रशिक्षण देने के लिए प्रमुख उद्योग संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करेगा।

6. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0जनित सेवा इकाइयों हेतु प्रोत्साहन

उत्तर प्रदेश में अपनी परिचालन इकाइयाँ स्थापित करने वाली आईटी/आईटीईएस कंपनियों को राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली नई और विस्तारित दोनों इकाइयाँ इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र होंगी।

6.1 नई इकाइयों हेतु वित्तीय प्रोत्साहन

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली नई इकाइयां प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगी:

क्षेत्र	पात्रता मानदण्ड
गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद	न्यूनतम 2 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आवश्यक है।
उत्तर प्रदेश का शेष क्षेत्र	आईटी और आईटीईएस गतिविधियों के लिए कंपनी की वेतन नामावली पर **कम से कम 15 आईटी कर्मचारी** होने चाहिए। सभी आईटी कर्मचारियों को वर्कस्टेशन, लैपटॉप या आईटी उपकरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये आईटी उपकरण नए निवेश के अंतर्गत होने चाहिए। अथवा आईटी और आईटीईएस परिचालन/सेवाओं से **न्यूनतम वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये** होना चाहिए।
अभ्युक्तिः प्रोत्साहन हेतु पात्रता नए कार्मिकों की 1 वर्ष की निरंतर अवधि के लिए रिक्रूटमेन्ट पर निर्भर है।	

6.1.1 पूंजी उपादान

निम्नलिखित मानदंडों की पूर्ति करने वाली पात्र आईटी/आईटीईएस इकाइयों को स्थिर पूंजी निवेश (एफसीआई) पर 25 प्रतिशत की दर से पूंजी उपादान प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 50 करोड़ हो

क्षेत्र	पात्रता मानदण्ड
गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद	न्यूनतम 5 करोड़ रुपये का स्थिर पूंजी निवेश आवश्यक है।
उत्तर प्रदेश का शेष क्षेत्र	न्यूनतम 2 करोड़ रुपये का स्थिर पूंजी निवेश आवश्यक है।

उपादान का संवितरण वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के पश्चात पांच समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा, और प्रत्येक वार्षिक किश्त की राशि रुपये 10 करोड़ से अधिक नहीं होगी।

6.1.2 परिचालन व्यय उपादान

इस नीति के माध्यम से सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0जनित सेवा इकाइयों द्वारा किये गये परिचालन व्यय के लिए उपादान प्रदान किया जायेगा। सभी पात्र इकाइयां पात्र परिचालन व्ययों की प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकती हैं:-

क. स्वामित्व वाली/किराए पर ली गई/प्लग एंड प्ले सुविधा से संचालित होने वाली इकाइयाँ, इकाई में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित दरों पर प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकती हैं, यद्यपि पात्र परिचालन व्यय पर दावा किया जा सकने वाला कुल प्रोत्साहन अधिकतम रु 25/- प्रति वर्गफुट प्रति माह होगा:

क्षेत्र	आईटी कर्मचारी की संख्या	पात्र परिचालन व्यय पर सब्सिडी दर
गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद	>50	20%
उत्तर प्रदेश का शेष क्षेत्र	15-50	40%
	51-100	30%
	>100	25%
अभ्युक्तिः		

1	प्रोत्साहन हेतु पात्रता नए कार्मिकों की 1 वर्ष की निरंतर अवधि के लिए रिक्रूटमेन्ट पर निर्भर है।

को-वर्किंग स्पेस से संचालित होने वाली इकाइयाँ उपरोक्त लागू दरों (क्षेत्रीय रोजगार सृजन के आधार पर) पर प्रति सीट, प्रति माह किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति या 3,000 रुपये प्रति सीट, प्रति माह जो भी कम होए का लाभ उठा सकती हैं। ये इकाइयाँ "पात्र परिचालन व्यय" के अंतर्गत आने वाले किसी अन्य मद के लिए पात्र नहीं होंगी और सब्सिडी की प्रतिपूर्ति केवल प्रति सीट लागत के आधार पर ही की जाएगी। यह उन इकाइयों के लिए पात्र होगा जिनके पास न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि के लिए पंजीकृत पट्टा विलेख है।

ख. **उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप्स हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन:** डीपीआईआईटी (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे स्टार्टअप्स, जिन्होंने सेबी (SEBI) में पंजीकृत वेंचर कैपिटल फंड (VCFs), वैकल्पिक निवेश फंड (AIFs), राष्ट्रीय क्वांटम मिशन अथवा किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय मिशन अथवा सरकार समर्थित फंड ऑफ फंड्स (Fund of Funds - FoFs) से इक्विटी निवेश प्राप्त किया है, वे नीति के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सब्सिडी सीमा तथा अन्य शर्तों के अधीन, लागू परिचालन व्यय (OPEX) सब्सिडी दर पर **अतिरिक्त 50% वृद्धि** प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह वर्धित सब्सिडी लागू सब्सिडी दर पर प्रतिशत वृद्धि के रूप में गणना की जाएगी। उदाहरणार्थ, यदि लागू OPEX सब्सिडी दर 20% है, तो पात्र स्टार्टअप को 30% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

क्षेत्र	आईटी कर्मियों की संख्या	पात्र परिचालन व्यय (OPEX) पर सब्सिडी दर	उच्च क्षमता स्टार्टअप OPEX सब्सिडी
गौतमबुद्ध नगर एवं गाज़ियाबाद	50 से अधिक	20%	30%
उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद	15-50	40%	60%
	51-100	30%	45%
	100 से अधिक	25%	37.5%

परिचालन व्यय उपादान वाणिज्यिक परिचालन होने से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जायेगा और कुल राशि प्रति वर्ष रु 40 करोड़ तक सीमित रहेगी।

आवेदन के समय 15 से 100 कार्मिकों वाली इकाइयाँ (उत्तर प्रदेश के शेष भाग के लिए) वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि से प्रारंभिक दो वर्षों के लिए प्रभावी दर पर परिचालन व्यय उपादान प्राप्त करने के पात्र होंगी। प्रारंभिक अवधि के पश्चात, अगले तीन वर्षों के लिए प्रभावी दर पर परिचालन व्यय उपादान जारी रखना इस शर्त पर निर्भर करेगा कि इकाई वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तिथि से प्रथम दो वर्षों के भीतर कर्मचारियों की संख्या या कारोबार में न्यूनतम दो गुना वृद्धि अर्जित करे।

यदि इकाई निर्धारित समय सीमा के भीतर उपरोक्त वृद्धि मानदंडों की पूर्ति करने में विफल रहती है, तो शेष पात्र अवधि के लिए पात्र परिचालन व्यय (ओपीईएक्स) के 25 प्रतिशत की कम दर पर परिचालन व्यय उपादान जारी रहेगा।

6.1.3 भूमि पर छूट

i इस नीति में उल्लिखित मानदण्डों को पूरा करने पर, उत्तर प्रदेश में क्रय की गई भूमि पर सरकार द्वारा छूट प्रदान की जायेगी।

ii भूमि की लागत पर प्रतिपूर्ति अधिकतम रुपये 50 करोड़ की सीमा तक तथा क्षेत्रवार न्यूनतम रोजगार मानदंडों की पूर्ति करने पर ही प्रदान की जाएगी।

क्षेत्र	न्यूनतम आईटी रोजगार	भूमि लागत की प्रतिपूर्ति
गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद	प्रति एकड़ भूमि 200 आईटी कार्मिक	30%
पश्चिमांचल (गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर) और मध्यांचल	प्रति एकड़ भूमि 150 आईटी कार्मिक	40%
बुंदेलखंड / पूर्वांचल	प्रति एकड़ भूमि 100 आईटी कार्मिक	50%
अभ्युक्तिः 1 बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, और मध्यांचल में आने वाले जिलों की सूची अनुलग्नक-1 पर दी गई है। 2 प्रोत्साहन हेतु पात्रता नए कार्मिकों की 1 वर्ष की निरंतर अवधि के लिए रिक्रूटमेन्ट पर निर्भर है।		

iii प्रदत्त रोजगार निरन्तर एक वर्ष की अवधि के लिए होना चाहिए।

iv भूमि लागत की प्रतिपूर्ति इकाई द्वारा वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के बाद प्रदान की जाएगी।

v भूमि के पंजीकृत दस्तावेज़ के अनुसार वास्तविक खरीद मूल्य को परियोजना के लिए भूमि की लागत (स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क को छोड़कर) माना जाएगा। यदि भूमि राज्य अभिकरण द्वारा आवंटित है तो भुगतान किये गए वास्तविक आवंटन मूल्य को भूमि की लागत (स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन शुल्क को छोड़कर) के रूप में माना जायेगा। निजी भूमि के क्रय पर भूमि का मूल्य प्रचलित सर्किल दरों अथवा वास्तविक क्रय मूल्य, जो भी कम हो, के अनुसार मानी जायेगी।

6.1.4 ब्याज उपादान

अधिसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये सावधि ऋण पर 7 प्रतिशत अथवा वास्तविक भुगतान किया गया ब्याज, जो भी कम हो, वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू 1.00 करोड़ होगी।

6.1.5 स्टाम्प शुल्क

आईटी/आईटीईएस उपयोग के लिए भूमि/कार्यालय स्थान/भवन की खरीद/पट्टे पर स्टाम्प शुल्क की 100 प्रतिशत छूट/प्रतिपूर्ति।

प्राप्त की गई छूट के समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर छूट प्रदान की जाएगी, जो इस नीति की धारा 8.3 में निर्धारित समय सीमा के भीतर वाणिज्यिक संचालन शुरू होने पर इकाई को वापस कर दी जाएगी।

प्रतिपूर्ति उन इकाइयों को प्रदान की जाएगी जिनके पास न्यूनतम 5 वर्ष का पंजीकृत किरायानामा हो । प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के बाद प्रदान की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति, 2022 की अधिसूचना के उपरांत क्रय की गई भूमि के संबंध में भूमि लागत की प्रतिपूर्ति, लेटर ऑफ कम्फर्ट (Letter of Comfort) निर्गत होने तथा इकाई द्वारा वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ किए जाने के पश्चात प्रदान की जाएगी।

यदि भूमि का क्रय उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा (आईटी एवं आईटीईएस) नीति, 2022 (प्रथम संशोधन) की अधिसूचना के उपरांत किया गया है, तो ऐसी पात्र इकाई नीति के प्रावधानों के अनुसार स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु पात्र होगी।

6.1.6 रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान

उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, वाणिज्यिक परिचालन आरमभ होने के बाद निरन्तर 1 वर्ष तक कार्यरत रहने पर, भुगतान की गई कुल भविष्य निधि राशि की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो प्रति कार्मिक प्रति माह 2000 रुपये तक होगी और एक इकाई के लिए 5 वर्षों तक प्रति वर्ष अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक सीमित होगी।

6.1.7 रिक्रूटमेण्ट सहायता

i उत्तर प्रदेश में स्थित इकाइयों (गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों को छोड़कर) में प्रति कर्मचारी 20,000 रुपये की रिक्रूटमेन्ट सहायता, न्यूनतम 1 वर्ष के निरन्तर रोजगार और विद्यमान कर्मचारियों की संख्या के न्यूनतम 10 प्रतिशत की वार्षिक भर्ती के अधीन।

ii यह सहायता केवल उनकी प्रथम नौकरी के लिए भरती किये गये कार्मिकों के लिए अनुमन्य है, जो न्यूनतम 1 वर्ष की अविध के लिए उत्तर प्रदेश स्थित इकाइयों में तैनात हों। कर्मचारी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी तथा उत्तर प्रदेश स्थित महाविद्यालय से हो।

iii इस सहायता का लाभ परिचालन प्रारम्भ होने की 5 वर्ष, प्रति वर्ष अधिकतम INR 1 करोड़, तक की अवधि के लिए लिया जा सकता है।

iv उत्तर प्रदेश स्थित कॉलेजों के अभ्यर्थियों की भर्ती में सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0जनित सेवा कम्पनियों की सहायता तथा इस प्राविधान के अनुसार लाभ प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास विभाग के परामर्श से एक तन्त्र विकसित किया जायेगा।

6.1.8 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन

सुरक्षा के लिए आईएसओ 27001, सेवा प्रबन्धन शब्दावली के लिए आईएसओ 20000, सीओपीसी, ईएससीएम जैसे गुणवत्ता और आईटी से सम्बन्धित क्षमता परिपक्वता मॉडल (सीएमए) स्तर एवँ उच्चतर प्रमाणपत्र सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर राज्य में परिचालनरत आईटी/आईटीएस कम्पनी द्वारा अधिकतम 3 प्रमाण-पत्रों हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति कुल रु 25 लाख प्रति इकाई की सीमा सहित। इस क्षेत्र से सम्बन्धित इस प्रकार के प्रमाणन समय-समय पर सशक्त समिति के अनुमोदन से सम्मिलित किये जायेंगे।

6.1.9 पेटेन्ट फाइलिंग लागत

अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य के अन्दर स्थित इकाइयों द्वारा पेटेन्ट फाइलिंग की लागत को आच्छादित करने के लिए सहायता प्रदान की जायेगी। स्वीकृत पेटेन्ट पर वास्तविक फाइलिंग लागत के 100 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो घरेलू पेटेन्ट्स हेतु अधिकतम रू 5,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 होगी।

प्रतिपूर्ति योग्य "फाइलिंग लागत" के अन्तर्गत पेटेंट कार्यालय को भुगतान की गई फाइलिंग फीस, वकील की फीस, सर्च फीस, रखरखाव फीस और संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार

(आईपीआर) कंपनियों को भुगतान की गई फीस और मसौदा तैयार करने/परामर्श के लिए कोई कानूनी शुल्क (यदि कोई हो) सम्मिलित होंगे। केवल सफलतापूर्वक स्वीकृत/पुरस्कृत पेटेंट ही प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।

6.1.10 घर से काम

इकाइयॉ इस नीति के तहत भविष्य निधि की प्रतिपूर्ति तथा रोजगार से जुड़े अन्य हितलाभ के लिए पात्र होंगी, जोकि उत्तर प्रदेश में घर से काम करने वाले/ऐसे अन्य परिसरों से काम करने वाले कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं।

6.1.11 पे-रोल उपादान

पात्र इकाइयों को न्यूनतम एक वर्ष की निरंतर सेवा अवधि वाले पंजीकृत (यूपी डोमिसाइल) कर्मचारियों (अनुसंधान एवं विकास में लगे कर्मचारियों सहित) को भुगतान किए गए वेतन और भत्तों की प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी।

क. गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों में

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी (यूपी डोमिसाइल) कर्मचारियों के लिए, वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के तीन वर्ष तक इकाई को निम्नानुसार उपादान राशि प्राप्त होगीः

परिचालन का वर्ष	अनुमन्य पे-रोल उपादान प्रतिशत	अधिकतम सीमा
प्रथम	35%	कर्मचारी को प्राप्त वेतन का 35% या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 5 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो।
द्वितीय	30%	कर्मचारी को प्राप्त वेतन का 30% या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 4 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो।
तृतीय	25%	कर्मचारी को प्राप्त वेतन का 25% या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 3 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो।

अधिकतम 10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगी और इसकी अवधि 3 वर्ष होगी।

इस सब्सिडी के प्रयोजन के लिए, वित्तीय वर्ष के दौरान इकाई द्वारा कर्मचारियों के लिए बनाए गए निरंतर रोजगार को आधार माना जाएगा। 12 महीने से कम समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को इस मद के अंतर्गत प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में शामिल नहीं किया जाएगा।

ख. उत्तर प्रदेश के शेष क्षेत्र के जिलों में

उत्तर प्रदेश मूल निवासी (यूपी डोमिसाइल) कर्मचारियों के लिए, व्यावसायिक परिचालन शुरू होने के चार साल तक इकाई को उपादान राशि निम्नानुसार देय होगी:

परिचालन का वर्ष	अनुमन्य पे-रोल उपादान प्रतिशत	अधिकतम सीमा
प्रथम	50%	कर्मचारी को प्राप्त वेतन का 50% या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 7 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो।
द्वितीय	40%	कर्मचारी को प्राप्त वेतन का 40% या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 6 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो।
तृतीय	30%	कर्मचारी को प्राप्त वेतन का 30% या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 5 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो।
चतुर्थ	25%	कर्मचारी को प्राप्त वेतन का 25% या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 4 लाख रुपये, इनमें से जो भी कम हो।

गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के अलावा अन्य जिलों में स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए पे-रोल उपादान प्रति वर्ष अधिकतम 12 करोड़ रुपये तक, चार वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा।

इस सब्सिडी के प्रयोजन के लिए, वित्तीय वर्ष के दौरान इकाई द्वारा कर्मचारियों के लिए बनाए गए निरंतर रोजगार को आधार माना जाएगा। 12 महीने से कम समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को इस मद के अंतर्गत प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में शामिल नहीं किया जाएगा।

अभ्युक्तिः पे-रोल उपादान के लिए, केवल वे कर्मचारी पात्र होंगे जिनका वार्षिक सकल वेतन (Gross Salary) 1 लाख रुपये से अधिक है। (कम्पनी द्वारा कर्मचारी के खाते में उद्योग के सर्वोत्तम प्रचलित फार्मूले के अनुसार हस्तांतरित सकल वेतन (Gross Salary) ही सम्मिलित होगा। इसमें मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि जैसे अन्य मामूली लाभ शामिल हैं।)

6.1.12 निर्यात से सम्बद्ध प्रोत्साहन

उत्तर प्रदेश से अर्जित वार्षिक निर्यात कारोबार के 25 प्रतिशत अथवा प्रति वर्ष, रुपये 20 लाख की अधिकतम सीमा तक, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति के लिए इकाइयाँ पात्र होंगी ।

यह प्रोत्साहन केवल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित और कार्यरत नई इकाइयों पर लागू होगा।

प्रतिपूर्ति पात्र इकाई का वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ होने की तिथि से पाँच (5) वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

6.1.13 कौशल विकास प्रोत्साहन

पात्र इकाई द्वारा परिचालन आरम्भ होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक अधिकतम 500 कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन की लागत के 50 प्रतिशत की दर से अथवा प्रति कर्मचारी 50,000 रुपये तक, जो भी कम हो, प्रति वर्ष रुपये 50 लाख की अधिकतम सीमा सहित पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में कौशल विकास उपादान प्राप्त किया जा सकता है।

6.1.14 रि-लोकेशन उपादान

पात्र इकाइयां राज्य के बाहर से उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों के स्थानांतरण व्यय की एकमुश्त प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकती हैं, जो वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी तथा प्रति कर्मचारी अधिकतम 50,000 रुपये और प्रति इकाई कुल अधिकतम 1 करोड़ रुपये के अधीन होगी। यह लाभ केवल उन कर्मचारियों के लिए मान्य होगा जिनका मासिक सकल वेतन (Gross Salary) 1,00,000 रुपये से अधिक है, जहां सकल वेतन (Gross Salary) में मूल वेतन, महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और इसी तरह के अन्य सभी घटक शामिल होंगे। निर्धारित शर्तों की पूर्ति और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, प्रति कर्मचारी इस नीति के अन्तर्गत केवल एक बार प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी।

6.1.15 इंटर्नशिप सहायता

इंटर्नशिप के अवसर सृजित करने के लिए प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को स्टाइपेन्ड भुगतान करने के लिए पात्र इकाई द्वारा वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ होने के बाद प्रशिक्षण लागत के 50 प्रतिशत अथवा प्रति छात्र प्रति माह 5,000 रुपये की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, अधिकतम 5 इंटर्न प्रति वर्ष तक सीमित, 3 वर्षों तक प्रदान की जाएगी। इंटर्नशिप इकाई के परिसर में ही होगी और कम से कम 2 महीने की अवधि की होनी चाहिए।

6.2 विस्तारित इकाईयों हेतु लाभ

विस्तारित इकाईयॉ निम्नवत प्रोत्साहन के लिये पात्र होगें:-

6.2.1 पात्र विस्तारित इकाइयां वृद्धिशील स्थिर पूंजी निवेश (एफसीआई) पर 25 प्रतिशत की दर से पूंजी उपादान का दावा करने के लिए पात्र होंगी, जो पात्र आईटी/आईटीईएस इकाइयों को अधिकतम 50 करोड़ रुपये के उपादान के अधीन होगी।

6.2.2 कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की प्रतिपूर्ति, पे-रोल उपादान, कौशल विकास प्रोत्साहन, रिक्रूटमेण्ट सहायता, रि-लोकेशन उपादान नई इकाइयों के लिए उपरोक्त उल्लिखित दर पर और उन्हीं नियमों और शर्तों के अनुरूप प्रदान की जाएगी। विस्तार से पूर्व वर्ष के दौरान औसत कर्मचारी हेडकाउंट को बेसलाइन कर्मचारी हेडकाउंट माना जाएगा। रोजगार संबंधी लाभों के लिए केवल बेसलाइन हेडकाउंट के ऊपर और अतिरिक्त वृद्धिशील हेडकाउंट पर विचार किया जाता है।

6.2.3 स्वामित्व वाली/बेयर शेल/ प्लग एंड प्ले सुविधा से संचालित इकाइयों के लिए, पात्र परिचालन व्यय पर कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि के अनुपात में 25 प्रतिशत की दर से परिचालन व्यय उपादान प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम 40 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक होगा।

6.2.4 सह-कार्य स्थलों से संचालित इकाइयों के लिए, वृद्धि हुई अतिरिक्त सीटों के 25 प्रतिशत की दर से या 3,000 रुपये प्रति सीट प्रति माह, जो भी कम हो, की दर से परिचालन व्यय उपादान प्रदान किया जाएगा, जोकि अधिकतम 40 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक होगा।

6.3 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली इकाइयों के लिए लाभ

सशक्त समिति की अनुशंसा तथा मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन, 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली IT-ITeS इकाइयों (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़कर) को भूमि पर 75% छूट (Land Rebate) तथा 40% पूंजीगत उपादान (पूंजीगत उपादान अधिकतम रू 400 करोड़ तक) (Capital Subsidy) प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा । पूंजीगत

उपादान का संवितरण वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के पश्चात पांच समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा ।

6.4 गैर वित्तीय प्रोत्साहन

6.4.1 आईटी/आईटीईएस उद्योग के लिए 25 केवीए से अधिक क्षमता के विद्युत जनरेटिंग सेट्स को छोड़कर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की परिधि से छूट।

6.4.2 विशिष्ट शिकायतों की स्थिति को छोड़कर, आईटी/आईटीईएस उद्योगों को प्रस्तर-6.4.3 में उल्लिखित अधिनियमों और उनके अधीन नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण से छूट होगी। इस प्राविधान के तहत इकाइयां प्रत्येक 5 वर्ष में केवल एक बार निरीक्षण हेतु पात्र होंगी।

6.4.3 सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर, जो भी लागू हो स्व-प्रमाणन (समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है) प्रस्तुत करने हेतु अनुमति होगी:-

I. कारखाना अधिनियम (The Factories Act)
II. मातृत्व लाभ अधिनियम (The Maternity Benefit Act)
III. दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (The Shops & Establishments Act)
IV. संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम {The Contract Labour (Regulations & Abolition Act)}
V. पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम (Payment of Wages Act)
VI. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act)
VII. सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम {The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act}

6.4.4 सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवाओं वाली कम्पनियों को सप्ताह के सातों दिन, प्रतिदिन 24 घण्टे - (तीन पालियों में परिचालन) तथा सभी पालियों में महिलाओं को काम करने की अनुमति होगी।

6.4.5 जब कभी आवश्यक हो, कतिपय आईटी/आईटीईएस इकाइयों को "आवश्यक सेवाओं"/सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

6.4.6 फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर.): एफएआर 3 और 1 (तत्समय प्रचलित भवन उप-नियमों के अनुसार क्रय योग्य) आईटी/ आईटीईएस जनित सेवा इकाइयों पर लागू।

6.4.7 उपरोक्त गैर-वित्तीय प्रोत्साहन नई इकाइयों और विस्तारित इकाइयों दोनों के लिए अनुमन्य हैं।

6.4.8 सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा राज्य विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों तथा रियल एस्टेट डेवलपर संघों के सहयोग से, उत्तर प्रदेश भर में

उपलब्ध सभी भूमि पार्सल और ग्रेड ए कार्यालय स्थानों के लिए एक एकल-खिड़की रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करने वाला एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल स्थापित और अनुरक्षित किया जायेगा, जिससेकि निवेशकों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित हो सके।

7. क्रियान्वयन ढांचा

7.1 राज्य स्तरीय सशक्त समिति

7.1.1 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0जनित सेवा नीति के विकास और इसके क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जायेगा।

7.1.2 सशक्त समिति द्वारा आईटी सिटी/आईटी पार्क/वृहद आईटी/ आईटीईएस परियोजनाओं/ उत्कृष्टता के केन्द्रों / अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों के विकास हेतु रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रस्तावों पर मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ संस्तुति प्रदान की जाएगी। समिति अंतर्विभागीय समन्वयन तथा निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए भी उत्तरदायी होगी।

7.1.3 सशक्त समिति (EC) की गठन संरचना अनुलग्नक-2 में वर्णित है।

7.2 नीति कार्यान्वयन इकाई

7.2.1 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की अध्यक्षता में एक नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) गठित की जायेगी। नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा इस नीति के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन से सम्बन्धित मामलों पर निर्णय लिया जायेगा।

7.2.2 पीआईयू उत्तर प्रदेश में स्थापित रु 200 करोड़ तक के निवेश के लिए आईटी/ आईटीईएस इकाइयों/ आईटी परियोजनाओं/ आईटी सिटी/आईटी पार्क के लिए लागू प्रोत्साहनों के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी। ₹200 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को अनुशंसा के लिए सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह किसी भी शिकायत का सामयिक निवारण प्रदान करेगी तथा आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता की सुविधा प्रदान करेगी। यदि पीआईयू किसी विशिष्ट बिन्दु पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो उसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

7.2.3 नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) की गठन संरचना अनुलग्नक-3 में वर्णित है।

7.3 नोडल संस्था

7.3.1 यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल संस्था होगी।

7.4 परियोजना प्रबन्धन इकाई

7.4.1 नोडल संस्था के तहत आउटसोर्स प्रोफेशनल्स तथा कन्सल्टेण्ट्स को शामिल करते हुए एक समर्पित परियोजना प्रबन्धन इकाई (पीएमयू) का गठन किया जायेगा ताकि कार्यान्वयन में सहायता और अनुश्रवण किया जा सके।

8. नीति अवधि तथा प्रयोज्यता

8.1 ये नीति अधिशोचा जारी होने की तिथि से 3 वर्ष के लिए प्रभावी होगी अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी नीति/संशोधन किये जाने तक, जो भी पहले वैध होगी।

8.2 नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाइयों को प्रोत्साहन उपलब्ध होगाः-

8.2.1 इस नीति की अधिसूचना के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव।

8.2.2 नीति के तहत प्रोत्साहन नई इकाइयों तथा विस्तारीकरण का प्रस्ताव करने वाली दोनो प्रकार की इकाइयों के लिए अनुमन्य हैं।

8.3 इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली इकाइयों द्वारा निम्नवत समय-सीमा के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ किया जायेगाः-

पात्र स्थिर पूँजी निवेश	वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ करने हेतु समय सीमा
रु 200 करोड़ तक	लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) निर्गत की तिथि /पहले निवेश की तिथि, जो भी पहले हो, से 4 वर्ष
रु 200 करोड़ से अधिक	लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) निर्गत की तिथि /पहले निवेश की तिथि, जो भी पहले हो, से 5 वर्ष

8.4 इस नीति की अधिसूचना की तिथि को अथवा उसके पश्चात प्रस्तुत किए गए आवेदन इस नीति के अंतर्गत विचारणीय होंगे। इस नीति के अंतर्गत लाभ केवल उन नवीन इकाइयों (New Units) तथा विस्तार इकाइयों (Expansion Units) को उपलब्ध होंगे, जिन्होंने उक्त अधिसूचना की तिथि से पूर्व अपनी प्रस्तावित परियोजना निवेश राशि का अधिकतम बीस प्रतिशत (20%) तक निवेश किया हो तथा अधिसूचना की तिथि से पूर्व वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ न किया हो। अन्य लागू शर्तों की पूर्ति के अधीन, केवल इस नीति की अधिसूचना की तिथि के पश्चात किए गए तथा प्रस्तर 8.3 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर किए गए निवेश को ही स्थायी पूंजी निवेश (Fixed Capital Investment) माना जाएगा तथा वही इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहनों हेतु पात्र होगा। ऐसे निवेशक जिन्होंने अपनी प्रस्तावित परियोजना निवेश राशि का बीस प्रतिशत (20%) से अधिक निवेश कर लिया हो, उन्हें उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित

सेवा नीति, 2022 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों हेतु स्वीकार्य माना जाएगा।

8.5 पिछली आईटी/आईटीईएस नीतियों के तहत, जिन प्रकरणों के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये गये हैं, वे पिछली नीतियों के प्राविधानों द्वारा शासित होंगे।

8.6 किसी भी इकाई या अवसंरचना परियोजना के लिए स्वीकार्य कुल प्रोत्साहन राशि उसके स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

8.7 सभी प्रोत्साहन राशियां केवल यूपी आईटी और आईटीईएस नीति 2022 (प्रथम संशोधन) के तहत अनुमोदित इकाइयों के लिए ही अनुमन्य हैं।

परिभाषायें

(क) **सूचना ,प्रौद्योगिकी उद्योग** के अन्तर्गत सम्मिलित हैं आईटी हार्डवेयर और आईटी/आईटीईएस इकाइयां/कम्पनियां, जहां आईटी इकाइयों/कम्पनियों में आईटी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा आईटी सेवायें शामिल हैं और आईटी जनित सेवाओं में बीपीओ/केपीओ/परामर्श/एनीमेशन/आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स/गेमिंग तथा अन्य ज्ञान-उद्योग इकाइयां शामिल हैं।

(ख) **सॉफ्टवेयर सेवाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैः-** एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर/फर्मवेयर, किसी कम्पोनेन्ट स्तर का विकास, डिजाइन और गुणवत्ता आश्वासन कार्य, सिस्टम एकीकरण कार्य/कम्पोनेन्ट, सॉफ्टवेयर में कोई स्थानीयकरण और एससीएम कार्य तथा विस्तार विकास (मुख्य सॉफ्टवेयर से इतर मॉड्यूल)

(ग) "सूचना प्रौद्योगिकी" को किसी भी ऐसी सेवा के रूप में पारिभाषित किया गया है जो मूल्यसंवर्द्धन को साकार करने के लिए आईटी उत्पादों की एक प्रणाली पर किसी भी आईटी सॉफ्टवेयर के उपयोग के परिणामस्वरूप होता है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में शामिल हैंः-

- एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
- इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर
- ई-मेल सर्विस प्रोवाइडर
- वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस प्रोवाइडर
- ई-कॉमर्स और कन्टेण्ट डेवलपमेण्ट
- इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेन्ज (ई.डी.आई.) सेवायें
- वीडियो कान्फ्रेंसिंग
- वी-सैट, आईएसडीएन सेवायें
- इलेक्ट्रानिक डाटा सेन्टर कार्यकलाप
- एआई एण्ड मशीन लर्निंग- जेन एआई, एजेन्टिक एआई, मल्टी-एजेन्ट सिस्टम्स एलएलएम्स, फाउन्डेशनल एआई रिसर्च
- डाटा कम्प्यूटिंग - क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, एज कम्प्यूटिंग, क्वान्टम कम्प्यूटिंग

- आटोमेशन - रोबोटिक्स, रोबोटिक्स प्रोसेस आटोमेशन, इन्टेलीजेन्ट प्रोसेस ऑटोमेशन
- एयरोस्पेस/स्पेसटेक- सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस सिस्टम्स, डिफेन्स-एडजेसेन्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म
- सेमीकन्डक्टर्स - चिपडिजाइन, फैब्रीकेशन सपोर्ट सेमीकन्डक्टर ईकोसिस्टम डेवलपमेन्ट
- कनेक्टिविटी - 5जी /6 जी इन्फ्रास्ट्रक्चर, आईओटी नेटवर्क्स, नेक्स्ट जनरेशन कम्प्यूनिकेशन
- ब्लॉकचेर/ वेब3 - डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीस, डिसेन्ट्रलाइज्ड एप्लीकेशन्स, डिजिटल आईडेन्टिटी
- डिजिटल एक्सपीरियन्स - एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स), एआर/वीआर, डिजिटल ट्विन, इमेन्सिव मीडिया टेक्नोलॉजीस
- एडवान्स्ड मैन्युफैक्चरिंग - इण्डस्ट्री 4.0, स्मार्ट फैक्ट्रीज, डिजिटल-फिजिकल कन्वर्जेन्स

(घ) "सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं" में सम्मिलित है मेडिकल ट्रॉसक्रिप्शन, लीगल डाटाबेस प्रोसेसिंग, आईटी, एजूकेशन एण्ड लर्निंग, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज, डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेण्ट/ एनिमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स जैसे बिजनेस सेगमेण्ट की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए दूरसंचार नेटवर्क अथवा इन्टरनेट पर वितरित की जाने वाली प्रक्रियायें और सेवायें, बैक ऑफिस संचालन -
लेखा/वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा और स्वास्थ्य परामर्श, जैसे सूचना विज्ञान, डाटा प्रोसेसिंग तथा कॉल सेन्टर आदि। आईटीईएस में शामिल हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं:-

- शोधन एवं विकास
- ई-कॉमर्स/डिजिटल मार्केटप्लेसेज/ऑनलाइन एग्रीगेटर्स
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेन्टर्स
- बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेण्ट
- कस्टमर इन्टरेक्शन सेवायें यथा कॉल/कान्टेक्ट सेन्टर तथा ईमेल हेल्प डेस्क्स
- इन्जीनियरिंग एण्ड डिजाइन
- बैक ऑफिस प्रोसेसिंग
- फाइनेन्स एण्ड एकाउन्टिंग (सुदूर से प्रदान)
- इन्श्योरेन्स क्लेम्स प्रोसेसिंग (सुदूर से प्रदान)
- मानस संसाधन सेवायें (सुदूर से प्रदान)
- वेब साइट विकास तथा अनुरक्षण सेवायें
- डाटा रिसर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस नेटवर्क कन्सल्टिंग एण्ड मैनेजमेण्ट
- रिमोट एजूकेशन

- o एनीमेशन (सुदूर से प्रदान)
- o गेमिंग
- o मार्केट रिसर्च (सुदूर से प्रदान)
- o ट्रॉसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन तथा लोकलाइजेशन (सुदूर से प्रदान)
- o निम्नलिखित के लिए कन्सल्टेन्सी (सुदूर से प्रदान)
  - आईटी सेक्टर
  - ई.आर.पी. -एन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (यथा एसएपी, ओराकेल आदि)
  - सी.आर.एम. - कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेण्ट
  - एम.आर.एम. - मार्केटिंग रिसोर्स मैनेजमेण्ट
  - तकनीकी सहायता
  - बिजनेस सिस्टम एण्ड प्रोसेसेज
- o डाटा प्रोसेसिंग
- o सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन
- o सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज
- o डिजाइनिंग सिस्टम्स
- o कॉल सेन्टर्सः (1) वॉयस - इनबाउण्ड तथा आउटबाण्ड, दोनों (2) डाटा - इनबाउण्ड तथा आउटबाण्ड
- o सॉफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट
- o आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (सुदूर से प्रदान सहित)
- o ऐसी अन्य सेवायें, जो समय-समय पर अधिसूचित की जायें।

(च) इकाई का अभिप्राय है एक कम्पनी के रूप में गठित एक सत्ता के स्वामित्व वाली एक आईटी/आईटीईएस इकाई, एक एलएलपी, सोसायटी, ट्रस्ट, औद्योगिक सहाकारी समिति अथवा स्वामित्व वाली संस्था सहित साझेदारी फर्म, जिसमें संयुक्त क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र इकाई शामिल नहीं है, जहॉ सरकार या सरकारी उपक्रम की अंश पूंजी 50 प्रतिशत अथवा अधिक है।

(छ) विस्तार इकाई का अर्थ है उत्तर प्रदेश में स्थित किसी मौजूदा इकाई से है जो विस्तार कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप नीति अवधि के दौरान उसके वेतनभोगी आईटी कर्मचारियों की संख्या में 25 प्रतिशत, या न्यूनतम 25 आईटी कर्मचारियों, जो भी अधिक हो, की वृद्धि होती है।

(ज) स्थिर पूंजी निवेश (एफसीआई) में भवन निर्माण, पट्टे पर ली गई संपत्ति में सुधार, आंतरिक विभाजन, फर्नीचर और फिटिंग, विद्युत और प्लंबिंग इन्स्टालेशन, आईटी-स्पेस्फिक भवन सेवाएं, संयंत्र और मशीनरी (कंप्यूटर, अनुसंधान एवं विकास उपकरण, नेटवर्किंग हार्डवेयर और संबंधित परिसंपत्तियां सहित), सॉफ्टवेयर और अवसंरचना उपयोगिताओं पर किया गया व्यय सम्मिलित होगा। भूमि की लागत और भवन की खरीद पर किया गया व्यय स्थिर पूंजी निवेश में सम्मिलित नहीं है। केवल इकाई के खातों में कैपिटलाइज्ड व्यय को ही पूंजीगत व्यय माना जाता है। यदि परिचालन सह-कार्य/प्लग एंड प्ले स्थानों से किया जाता है, तो भवन निर्माण,

भवन सुधार, फर्नीचर और फिटिंग तथा अवसंरचना उपयोगिताओं से संबंधित लागतों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।

(झ) सरकारी अभिकरण

- औद्योगिक विकास अभिकरण
- आवास परिषद
- सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य शासकीय संस्थान

(ट) आईटी सिटी के लिए न्यूनतम 20 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग 60:40 के अनुपात में प्रोसेसिंग और नॉन-प्रोसेसिंग क्षेत्र के रूप में किया जाता है। प्रोसेसिंग क्षेत्र में केवल आईटी इकाइयां जैसे आईटी कम्पनियां, बीपीओ, केपीओ आदि शामिल होंगे। नॉन-प्रोसेसिंग क्षेत्र में आवासीय सुविधायें, सार्वजनिक उपयोगिता कार्यालय/सुविधायें/वाणिज्यिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुला क्षेत्र होगा।

(ठ) आईटी पार्क्स का निर्माण लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज तथा वाराणसी में न्यूनतम 2,500 वर्गमीटर तथा प्रदेश के शेष उत्तर प्रदेश में 1,500 वर्गमीटर के साथ किया जाता है। परिसर में सार्वजनिक उपयोगिता कार्यालय/सुविधायें शामिल हो भी सकती हैं और नहीं भी। आवंटन योग्य क्षेत्र का 75 प्रतिशत आईटी गतिविधियों के लिए आवंटित होना चाहिए। आईटी पार्क में अधिकांश तकनीकी अवसंरचना जैसे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी, वाई-फाई एक्सेस, वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधायें आदि एक आईटी सिटी के समान होती हैं। आईटी पार्क, आईटी सिटी का एक सबसेट है जिसमें सम्पूर्ण क्षेत्र प्रमुख रूप से आईटी गतिविधियों के लिए समर्पित है।

ड) वाणिज्यिक परिचालन तिथि से तात्पर्य उस तिथि से है जब आईटी/आईटीईएस इकाई या अवसंरचना परियोजना आधिकारिक रूप से अपने व्यावसायिक कार्यकलापों का शुभारंभ करती है, जो राजस्व सृजन द्वारा चिह्नित होती है, अर्थात् सेवाओं या संचालन के प्रावधान के माध्यम से इकाई द्वारा जारी किए गए पहले वाणिज्यिक बिक्री बिल/चालान की तिथि।

ढ) पात्र परिचालन व्यय (ओपीईएक्स)- पात्र परिचालन व्यय में निम्नलिखित शामिल होंगेः

i. **लीज रेन्टल्स**

आईटी/आईटीईएस इकाइयों के लिए कार्यालय स्थान लीज पर लेने के लिए वास्तविक किराए के आधार पर प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। इसकी पात्रता उन इकाइयों के लिए होगी जिनके पास न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि के लिए पंजीकृत पट्टा विलेख है।

ii. **बैंडविड्थ व्यय**

लाइसेंस प्राप्त इंटरनेट सेवा प्रदाता को भुगतान की गई वास्तविक बैंडविड्थ कनेक्टिविटी लागत के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

iii. **डाटा सेंटर/क्लाउड सेवा लागत**

आईटी/आईटीईएस इकाई के संचालन में डाटा सेंटर या क्लाउड सेवाओं पर हुए वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

iv. **पॉवर चार्जेस** -

आईटी/आईटीईएस इकाई के संचालन में ऊर्जा खपत के लिए हुए वास्तविक विद्युत व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

ण) **सह-कार्यशील स्थान:** सह-कार्यशील स्थान का अर्थ है एक साझा कार्यालय स्थान जो किसी व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सामान्य बुनियादी ढाँचा, सेवाएँ और सुविधाएँ प्रदान करता है। सह-कार्य गतिविधियों के लिए आवेदक के पास कम से कम 100 सीटें या 1,000 वर्ग मीटर का न्यूनतम समर्पित क्षेत्र होना चाहिए, ताकि उस स्थान पर कई संस्थाओं का कब्जा हो। सुविधाओं और सेवाओं की उदाहरणात्मक सूची में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) दावा की गई प्रत्येक व्यक्तिगत सीट के लिए उपयोग के लिए तैयार और प्लग-एन-प्ले सुविधाएं और फर्नीचर
(ii) तकनीकी उपकरण
(iii) हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और आईटी समर्थन
(iv) मुद्रण, स्कैनिंग और फोटोकॉपी सेवाएँ
(v) सम्मेलन कक्ष
(vi) स्वागत क्षेत्र
(vii) बिजली आपूर्ति
(viii) हाउसकीपिंग सेवाएं
(ix) निगरानी और भंडारण सुविधाओं के साथ सीसीटीवी कैमरा

ध्यानाकर्षणः "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 (प्रथम संशोधन)" के अंग्रेजी संस्करण का अनन्तिम हिन्दी रूपान्तर है, अतएव विषय-वस्तु सम्बन्धी किसी असंगति/संशय की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण में निहित विषय-वस्तु ही मान्य होगी।

अनुलग्नक 1: जिलों का वर्गीकरण

पूर्वांचल	बुन्देलखण्ड	मध्यांचल	पश्चिमांचल
अयोध्या क्षेत्र	झाँसी क्षेत्र	कानपुर क्षेत्र	1 गौतमबुद्ध नगर
1 अयोध्या	1 झांसी	1 कानपुर नगर	2 गाजियाबाद
2 अम्बेडकर नगर	2 जालौन	2 कानपुर देहात	आगरा क्षेत्र
3 सुल्तानपुर	3 ललितपुर	3 इटावा	1 आगरा
4 अमेठी	चित्रकूट क्षेत्र	4 औरैया	2 फिरोजाबद
गोरखपुर क्षेत्र	4 बांदा	5 फर्रुखाबाद	3 मैनपुरी
5 गोरखपुर	5 चित्रकूट	6 कन्नौज	4 मथुरा
6 देवरिया	6 हमीरपुर	लखनऊ क्षेत्र	अलीगढ़ क्षेत्र
7 महराजगंज	7 महोबा	7 लखनऊ	5 अलीगढ
8 कुशीनगर		8 हरदोई	6 हाथरस
प्रयागराज क्षेत्र		9 लखीमपुर खीरी	7 कासगंज
9 प्रयागराज		10 रायबरेली	8 एटा
10 कौशाम्बी		11 सीतापुर	मुरादाबाद क्षेत्र
11 फतेहपुर		12 उन्नाव	9 मुरादाबाद
12 प्रतापगढ़		13 बाराबंकी	10 बिजनौर
वाराणसी क्षेत्र			11 सम्भल
13 वाराणसी			12 रामपुर
14 चन्दौली			13 अमरोहा
15 जौनपुर			मेरठ क्षेत्र
16 गाजीपुर			14 मेरठ
मीरजापुर क्षेत्र			15 बुलन्दशहर
17 मीरजापुर			16 हापुड़
18 संत रविदास नगर			17 बागपत
19 सोनभद्र			सहारनपुर क्षेत्र
आजमगढ क्षेत्र			18 मुजफ्फरनगर
20 आजमगढ			19 शामली
21 बलिया			20 सहारनपुर
22 मऊ			बरेली क्षेत्र
देवीपाटन क्षेत्र			21 बरेली
23 गोण्डा			22 बदायूँ
24 बहराइच			23 पीलीभीत
25 बलरामपुर			24 शाहजहाँपुर

26 श्रावस्ती बस्ती क्षेत्र 27 बस्ती 28 संत कबीर नगर 29 सिद्धार्थ नगर			

अनुलग्नक 2: सशक्त समिति का गठन

क्रम संख्या	पदनाम	भूमिका
1	मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
2	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
13	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य सचिव

इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव इस समिति के सदस्य होंगे।

अनुलग्नक 3: नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन

क्रम संख्या	पदनाम	भूमिका
1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न प्रतिनिधि	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न प्रतिनिधि	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न प्रतिनिधि	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न प्रतिनिधि	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न प्रतिनिधि	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग , स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न प्रतिनिधि	सदस्य
8	विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य
9	प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
10	प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी	सदस्य सचिव